परिशिष्ट–6

पेंशन, ग्रेच्यूटी और उसके प्रभावकारी भुगतान की प्रतिक्रिया के सरलीकरण से सम्बन्धित राज्य सरकार के महत्वपूर्ण राज्यादेश

1.

***विषय : वार्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित एवं सरलीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली, कोषागार संहिता, सेवा संहिता तथा सुसंगत आदेशों में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया है –

2. काम करने की समय-तालिका – वार्धक्य सेवानिवृत्ति के मामलों में पेंशन का भुगतान नियमत: सेवानिवृत्ति के एक माह बाद से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पेंशन मामले से सम्बन्धित कार्यालय प्रधान या अन्य उत्तरदायी प्राधिकारी या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी को पेंशन/उपदान प्राधिकृत करने की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु निम्नांकित समय-अनुसूची को पालन करना अनिवार्य है । सरकार का यह उद्देश्य है कि समय पर पेंशन मामले के लिए सभी प्रारम्भिक तथा प्रस्तुति कार्य बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिये जायें जिसमें प्रत्येक प्रक्रम एवं प्रक्रिया के लिये समुचित समय मिलें । प्रत्येक प्रक्रम के लिए निम्नांकित रूप से अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित कर दी गई हैं –

(क) कार्यालय प्रधान या पेंशन कागजात प्रस्तुत करने से सम्बन्धित अन्य उत्तरदायी प्राधिकारी (अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्यालय प्रधान एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में महालेखाकार, बिहार) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि के दो वर्ष पूर्व से ही पेंशन कागजात प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ करेंगे । इस प्रक्रम पर पेंशन की योग्यतागत सेवा का निर्धारण हेतु सभी आवश्यक सूचनायें एकत्रित करना मुख्य कार्य होगा । सेवापुस्त/अभिलेख में अधूरी प्रविष्टियों के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में अधिकतर विलम्ब होता है । अतएव इस प्रक्रम पर सेवापुस्त/अभिलेख की अधूरी प्रविष्टियों को दूर करने का सतत् प्रयास किया जाए । इस हेतु सेवापुस्त/अभिलेख का आद्योपान्त जाँच एवं अंकेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पेंशन कागजात प्रस्तुत करने के लिए औपचारिकताओं की पूर्ति कर लेना है । किसी भी हालत में यह प्रक्रिया सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि के आठ माह पूर्व ही सम्पन्न होनी है ।

(ख) दूसरे प्रक्रम में अर्थात् सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व, पेंशन कागजात प्रस्तुत करना, जैसे पेंशन प्रदायी सेवा की गणना तथा औसत उपलब्धियों का निर्धारण, प्रारम्भ कर देना चाहिये । इस प्रक्रम पर सेवापुस्त/अभिलेख में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और प्रविष्टियों के आधार पर वित्त विभाग के परिपत्रांक 8739/वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 एवं 1690/वि०, दिनांक 9 फरवरी, 1978 के प्रावधानों के अधीन केवल सेवा के प्रारम्भ की तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि एवं सेवा लगातार तथा पेंशन प्रदायी है एतद् सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अंकित कर देना ही यथेष्ट होगा । यह प्रमाण-पत्र अंकेक्षण को भी मान्य होगा ।

(ग) उपलब्धि–वर्तमान में वित्त विभाग के परिपत्रांक 8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में निहित प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 (बारह) माह में प्राप्त उपलब्धियों के औसत पर पेंशन की गणना की जाती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि के विगत दस माह में प्राप्त उपलब्धियों के औसत पर की जायेगी । औसत उपलब्धियों की गणना केवल गणितिक नहीं है, बल्कि उसमें सम्मिलित होने वाले उपलब्धियों की शुद्धता की जाँच भी अंगीभूत है । दस माह की अवधि की प्रथम तिथि को उपलब्धियों की शुद्धता उस तिथि के पूर्व उपलब्धियों की शुद्धता पर निर्भर करता है । फिर भी पेंशन कागजात की प्रस्तुति से सम्बन्धित कार्यालय में या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्धियों की शुद्धता की जाँच

सुदृरभूत से नहीं करना चाहिये, बल्कि जाँच की सीमा, अनिवार्यता के ध्यान में न्यूनतम होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में जाँच की अवधि सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व (बारह) माह से पीछे नहीं होनी चाहिए।

(घ) पेंशन प्रदायी सेवा, औसत उपलब्धियों तथा अनुमान्य पेंशन/उपदान निर्धारित करने की प्रक्रिया दो माह के अन्दर ही पूरी कर लेनी चाहिए और सेवानिवृत्ति तिथि के ठीक 6 माह पूर्व सभी पेंशन कागजात पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने से सम्बन्धित प्रभारी अर्थात् महालेखाकार के पास भेज देना चाहिए। वे पेंशन कागजों की आवश्यक जाँच के पश्चात् (जाँच उपर्युक्त उप-कंडिका (क) (ग) में निहित प्रावधानों तक सीमित रहेगी) ही सेवानिवृत्ति की तिथि के एक माह पूर्व ही पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान भुगतान आदेश निश्चित रूप से निर्गत कर देंगे।

(ङ) ऐसे मामलों में जहाँ सेवानिवृत्ति सामान्य अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व होती है – जैसे (i) असमर्थता के आधार पर, (ii) क्षतिपूर्ति पेंशन के रूप में, (iii) दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति तथा, (iv) कोई लोक उद्यम और स्वशासी निकाय में स्थायी रूप से विलीन हो जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति आदि के मामले में सेवानिवृत्ति के पश्चात् 6 माह की अवधि के अन्दर निश्चित रूप से पेंशन/उपदान स्वीकृति करने की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर देना है।

3. निलम्बन–अगर सेवापुस्त/अभिलेख में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 99 एवं 100 के प्रावधानों के अधीन निलम्बन अवधि को पेंशन हेतु गणना करने का स्पष्ट आदेश अंकित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपेक्षा कर निलम्बन अवधि को पेंशन हेतु गणना कर दी जायेगी।

4. सेवा में टूट–सेवापुस्त/अभिलेख में कोई खास प्रतिकूल आदेश की प्रविष्टि के अभाव में, राज्य सरकार के अधीन की गई दो सेवाओं के टूट की अवधि (i) पद त्याग, (ii) सरकार द्वारा सेवा से विमुक्ति या हटा देने से अथवा (iii) हड़ताल में भाग लेने के कारण टूट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की टूट के स्वतः क्षान्त समझा जायेगा एवं टूट को पूर्व की पहली सेवा पेंशन प्रदायी मानी जायेगी। परन्तु, टूट की अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना नहीं की जायेगी। यह प्रक्रिया राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवक के मामले के समरूप से लागू होगा।

5. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा–(क) कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों के अधीन अपनी पेंशन प्रदायी सेवा को चालू रखने के लिए पेंशन अंशदान का भुगतान करना उनकी जिम्मेदारी एवं दायित्व है। ऐसे मामलों में बाह्य सेवा की अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा में गणना करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना है कि उनसे पेंशन अंशदान की वसूली हो चुकी है, क्योंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक के अंशदान प्राप्ति के पश्चात् ही पेंशन निर्धारण निर्भरशील है। फिर भी प्रशासनिक/अंकेक्षण कार्यालय में अंशदान प्राप्ति के सही रूप से लेखा संधारण नहीं रहने के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सेवकों को काफी कठिनाई होती है। इस प्रकार के मामलों में सरकारी सेवक से पेंशन अंशदान का भुगतान करने के सम्बन्ध में साधारण सूचना प्राप्त की जाये और उनके द्वारा यथासाध्य दिये गये साक्ष्य को प्रशासनिक प्राधिकार को मूल्यांकन एवं स्वीकार करने हेतु युक्तियुक्त उदारता (with reasonableness and accommodation) की भावना दर्शाना है न कि सेवा या लेखा अभिलेखों से सम्बन्धित औपचारिक साक्ष्य जिसका लेखा-जोखा का संधारण का उत्तरदायित्व सरकारी सेवक को कदाचित नहीं है, को कठोरता के साथ माँगने पर बल देना है।

(ख) जहाँ पर पेंशन अंशदान भुगतान करने का उत्तरदायित्व बाह्य नियोजन संस्था (Borrowing Organisation) पर हो, जहाँ अंशदान की वसूली नहीं की गई है या आंशिक रूप से की गयी है तथा अंशदान की वसूली सम्बन्धी लेखा का संधारण अपूर्ण हो तो सम्बन्धित प्राधिकारों को अलग से नियोजन संस्था से अंशदान की वसूली सम्बन्धी उचित कार्रवाई करनी है। इस प्रकार के अड़चनों के चलते पेंशन अनिष्पादित नहीं रहेगी।

(ग) सरकारी सेवक द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की दशा में प्राप्त वेतन को उनकी उपलब्धि के रूप में नहीं मानी जाती है। उक्त अवधि में अगर वे बाह्य सेवा में नहीं रहकर सरकार के अधीन जो वेतन प्राप्त करते अर्थात् काल्पनिक वेतन को उनके पेंशन की गणना के लिए उपलब्धि मानी जाती है। अतः प्रशासी विभाग चाहते तो इन सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के अन्तिम दस महीने में प्रतिनियुक्त नहीं करें।

6. पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदित सेवा का सिद्धान्त – (क) यह प्राय: देखा गया है कि कार्यालय प्रधान या पेंशन स्वीकृति के सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित सेवा के प्रसंग में पेंशन कागजात भेजने की प्रक्रिया के फलस्वरूप पेंशन मामले के निष्पादन में काफी विलम्ब हो जाता है यद्यपि अधिकांश मामलों में यह केवल औपचारिकता मात्र ही है । अत: यह निर्णय लिया जाता है कि पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसका उल्लेख बिहार पेंशन नियमावली एवं अन्य आदेशों में है, की आवश्यकता को समाप्त किया जाये । अब से पेंशन का निर्धारण मात्र नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा और इस प्रयोजन हेतु पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) फिर भी, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139, जिसके अधीन किसी विशेष मामले या चरित्र असंतोषप्रद रहने पर सरकारी प्रक्रिया के पश्चात् पूर्ण पेंशन/उपदान नहीं स्वीकृत किया जाता है, अभिप्राय को समाप्त नहीं किया जा रहा है । इसका उपयोग चन्द आपवादिक मामलों के लिए है और इस प्रयोजन हेतु सभी पेंशन मामलों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के पास प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजना नहीं है, बदले में जब सेवानिवृत्ति के 8 (आठ) माह पूर्व पेंशन कागजात तैयार करते समय, कार्यालय प्रधान या पेंशन तैयार करने के पदाधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के पास इस आशय का एक जाँच-पत्र भेजेंगे कि अमुक मामले में क्या पूर्ण पेंशन से कटौती या कार्यवाही प्रारम्भ करने की इच्छा (Intention) है (इस कार्य हेतु पेंशन कागजात नहीं भेजना है) । इस जाँच-पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, पेंशन कागजात तैयार करने वाले प्राधिकारी यह मान लेंगे कि पूर्ण पेंशन उपदान से कम स्वीकृत करने की मंशा नहीं है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन कागजात को तैयार कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने के प्राधिकारी महालेखाकार, बिहार के पास भेज देंगे । अगर, दूसरी ओर नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि मामले में पूर्ण पेंशन/उपदान से कम स्वीकृत करना है तो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेंगे और यह प्रक्रिया पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी के पास (महालेखाकार को), पेंशन कागजात भेजने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही निश्चित रूप से पूरा हो जाना चाहिए, अर्थात् सेवानिवृत्ति तिथि के 6 (छ:) माह पूर्व ।

(ग) जहाँ पेंशन कागजात तैयार करने का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रधान से अन्यत्र पर है (जैसे राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में महालेखाकार) उनका यह उत्तरदायित्व होगा (जहाँ) पेंशन मामला स्वयं कार्यालय प्रधान का हो तो उनसे (वरीय पदाधिकारी) की सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से अग्रिम सूचना प्राप्त कर ले कि अमुक मामले में पूर्व पेंशन/उपदान से कम देने की मंशा है या नहीं । जहाँ पर इस प्रकार की सूचना नहीं मिले तो पेंशन कागजात तैयर करने से सम्बन्धित प्राधिकारी यह मानते हुए कि पूर्व पेंशन उपदान स्वीकृत करना है, पेंशन मामले के निष्पादन हेतु कार्रवाई करेंगे ।

7. पेंशन को रोक रखना या वापस लेना – (क) कंडिका 6 के निर्णय का प्रभाव बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 पर नहीं पड़ेगा जिसके अधीन पेंशन को रोकने या वापस लेने का शक्ति प्रदत्त है ।

(ख) अगर सरकारी सेवक के विरुद्ध उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई फौजदारी मुकदमा, न्यायिक जाँच इत्यादि प्रारम्भ नहीं की गई तो उस स्थिति में किसी भी हालत में पेंशन रोकने का अधिकार पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी को नहीं होगी । बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 एक स्टैच्युटरी नियम है अत: इसके प्रावधानों के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा पेंशन को रोकने के विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को एवं निगरानी विभाग से स्वेच्छा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित परिपत्र को स्वत: रद्द समझा जाये ।

(ग) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारम्भ की गयी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ सेवानिवृत्ति की तिथि तक अन्तिम रूप से निष्पादित होने की सम्भावना न हो वहाँ वित्त विभाग के परिपत्रांक 9144/वि०, दिनांक 22-8-1974 एवं 11260 वि०, दिनांक 31-10-1974 के प्रावधानों के अधीन औपबंधिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाये जिससे सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक को कठिनाई न हो । नीचे कंडिका 8 के (ग) में निहित प्रावधान इस कोटि के मामले में लागू नहीं होंगे । इस कोटि के मामले में औपबंधिक पेंशन की राशि नियमत: अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(घ) उपर्युक्त कंडिका 2 (घ) के अधीन पेंशन कागजात/पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वास्ते प्राधिकार के कार्यालय में अगर भेज दिया गया हो और इसी बीच कोई ऐसी स्थिति हो जिसका कुप्रभाव पेंशन की राशि पर पड़े तो इसकी सूचना अविलम्ब पेंशन/उपदान भुगतान आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय (महालेखाकार) को दे दिया जाये।

8. औपबंधिक पेंशन/उपदान – (क) ऊपर की कंडिका 2 में निर्धारित समय तालिका को कठोर रूप से पालन करना है फिर भी, यदि किसी विशेष परिस्थितिवश किसी मामले में पेंशन कागजात को पूरा करना असम्भव हो और उसे पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत करने वाले प्रभारी कार्यालय में समय सीमा के अन्दर भेजा नहीं जा सके या पेंशन कागजात विलम्ब से भेजे गये हों या उस कार्यालय द्वारा चन्द सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु लौटा दिया गया हो या सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि एक माह पूर्व पेंशन भुगतान आदेश निर्गत नहीं हो सका है, तो कार्यालय प्रधान द्वारा पेंशन/उपदान को औपबंधिक रूप में देय प्रथम माह में प्राधिकृत करने संबंधी आवश्यक कदम उठाया जाये। इस प्रयोजन हेतु कार्यालय में उपबन्ध अभिलेखों को व्यवहार में लाया जाये और आगे कार्यालय प्रधान सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से कुल सेवा अवधि तथा गत दस माह में प्राप्त उपलब्धियों के सम्बन्ध में एक साधारण सूचना प्राप्त कर ले (सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा सेवानिवृत्ति तिथि, अगर कोई टूट हो तो टूट सहित)। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर ले कि जो सूचनाएँ दी गई हैं, वह उनकी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। अगर दस माह में प्राप्त उपलब्धियों की सूचना पूर्ण रूप से न तो कार्यालय प्रधान और न सरकारी सेवक के पास उपलब्ध हो, तो अन्तिम प्राप्त उपलब्धियों (Last emolument) को औपबंधिक रूप में औसत उपलब्धि मान ली जायेगी एवं इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यालय प्रधान 100 प्रतिशत पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत कर सकते हैं। मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान भी इसी आधार पर निर्धारित की जायेगी। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबंधिक पेंशन उपदान की निकासी एवं भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। औपबंधिक उपदान भुगतान करने के पूर्व, सभी सरकारी बकाये जैसी लम्बी अवधि संबंधी अग्रिम का बकाया वेतन एवं भत्ता का अधिक भुगतान आदि तथा अन्य सरकारी बकाये को सामंजित कर लिया जायेगा। जहाँ पर किसी बकाया या सामंजन कराना नहीं हो, उपदान से 10 प्रतिशत या 1,000 रु० दोनों में जो भी कम हो काट कर रख लिया जायेगा जिससे अनिर्धारित बकाये तथा औपबंधिक रूप से अधिक भुगतान की गई पेंशन/उपदान की राशि का सामंजन हो सके।

(ख) वर्तमान नियम के अधीन, राजपत्रित सेवक के मामले में जहाँ पर पेंशन का अन्तिम निर्धारण नहीं हो गया हो, महालेखाकार द्वारा ही औपबन्धिक रूप में पेंशन का भुगतान आदेश प्राधिकृत किया जाता है। अब इस प्रावधान को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में अगर सेवानिवृत्ति तिथि के एक माह पूर्व महालेखाकार द्वारा अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश निर्गत नहीं किया गया हो, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा कार्यालय प्रधान से पेंशन/उपदान औपबन्धिक रूप में निकासी कर भुगतान करने की माँग की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए ऊपर की उप-कंडिका (क) में उल्लेखित प्रक्रिया लागू होगी।

(ग) **दो वर्ष के बाद औपबन्धिक पेंशन को पूर्ण पेंशन होना** – औपबन्धिक पेंशन का यह अभिप्राय नहीं है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष बाद भी औपबन्धिक रूप से ही चलता रहेगा। अगर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले उत्तरदायी कार्यालय उस समय तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं कर देते हैं, तो औपबन्धिक पेंशन अन्तिम पेंशन का रूप धारण कर लेगा और महालेखाकार, बिहार को यह बाध्यकारी (Obligatory) हो जायेगा कि औपबन्धिक रूप में निर्धारित पेंशन/उपदान की राशि को ही अन्तिम पेंशन भुगतान के रूप में प्राधिकृत कर दें तथा ऊपर की उप-कंडिका (क) के अनुसार उपदान से की गई कटौती को नीचे कंडिका 9 एवं 10 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत कर दें।

9. अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र – (क) औपबन्धिक भुगतान के पूर्व अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ख) (i) राजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन कागजात तैयार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व महालेखाकार की है। अतः वे स्वतः समय सीमा के अन्दर अर्थात् सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर निश्चित रूप से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के जिम्मे विभिन्न प्रकार के सरकारी बकाये का लेखा-जोखा अन्तिम रूप से कर ले जिससे अन्तिम प्रमाण-पत्र निर्गत करने में कोई कठिनाई न हो एवं वेतन

प्राप्त कर सेवानिवृत्ति के पश्चात् दूसरे माह से ही पेंशन/उपदान का भुगतान सम्भव हो जाये । अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोषागार को महालेखाकार से लेखा-जोखा के बारे में कोई सूचना प्राप्त न हो उस दशा में कोषागार पदाधिकारी स्वयं बिना दुविधा के निश्चित रूप से अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत कर देंगे ।

(ii) कोषागार पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य रहेगा कि महालेखाकार से बकाये सम्बन्धी सूचना प्राप्त होते ही वे सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी तथा महालेखाकार को 6 माह पूर्व अवगत करा दें ।

(ग) अराजपत्रित सरकारी सेवकों तथा ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन कार्यालय प्रधान द्वारा ही निकासी कर भुगतान किया जाता है के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप में निर्गत कर दिया जायेगा ।

(घ) अगर विशेष परिस्थिति में किसी मामले में अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो सके, उस दशा में उपदान के 10 (दस) प्रतिशत या 1,000 रु० (एक हजार रुपये) दोनों में जो कम हो, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के लिए रोक रखा जाये । सेवानिवृत्ति के छः माह के बाद किसी भी स्थिति में उपर्युक्त राशि का भुगतान स्थगित नहीं रहेगा ।

10. सरकारी बकाये का सामंजन – (क) सरकारी आवास सम्बन्धी बकाये–सरकारी आवास के किराये के सम्बन्ध में "माँग रहित प्रमाण-पत्र" निर्गत करने हेतु प्रचलित प्रावधान निम्नांकित संशोधन के साथ बने रहेंगे –

(i) राजपत्रित पदाधिकारी अपने वेतन विपत्र से आवास किराया की कटौती करते हैं । अतः लेखा संधारण के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का ही यह कर्त्तव्य है कि लेखा-जोखा का संधारण सही-सही रूप से करें जिससे "माँग रहित प्रमाण-पत्र" निर्गत करने में कठिनाई न हो । फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लेखा-जोखा सही रूप से नहीं रहने के फलस्वरूप "माँग रहित प्रमाण-पत्र" समय पर निर्गत नहीं होते हैं और पेंशन/उपदान के मामले के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है । अतः ऐसी स्थिति में सम्बन्धित राजपत्रित पदाधिकारी को सरकारी आवास के किराया की कटौती के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र (Affidavit) देना यथेष्ट होगा और इसकी मान्यता सरकार एवं महालेखाकार द्वारा दी जायेगी ।

(ii) जहाँ तक अराजपत्रित तथा ऐसे कतिपय राजपत्रित सेवक, जो अपने वेतन की निकासी नहीं करते हैं का प्रश्न है उनके निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व 6 माह का लेखा- जोखा देखकर ही कि आवास किराया संबंधी आदेयता प्रमाण-पत्र देना यथेष्ट होगा ।

(ख) आवास को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी बकाया–सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व जब पेंशन कागजात तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये उसी समय से अन्य सरकारी बकाये का मूल्यांकन भी प्रारम्भ कर दिया जाये, क्योंकि एक वर्ष चार माह के तुरन्त बाद वास्तविक पेंशन कागजात तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और सभी सरकारी बकाये का मूल्यांकन करने का अल्प समय रह जाता है । सेवानिवृत्ति की तिथि के आठ माह पूर्व जैसे ही वे प्रक्रम आ जाता है तो बकाये की लेखा- जोखा के लिए सीमित अवधि के अभिलेखों की जाँच की जाये अर्थात् सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व से अधिक अवधि का कदाचित नहीं । इस प्रकार कार्यालय प्रधान या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने से सम्बन्धित कार्यालय (महालेखाकार) को पेंशन/उपदान भुगतान आदेश अथवा औपबन्धिक पेंशन/उपदान भुगतान आदेश निर्गत करने के निर्धारित अवधि के पूर्व बकाये राशि विशेष कर लम्बे शर्तों पर स्वीकृत अग्रिम जैसे गृह-निर्माण या सवारी (Conveyance Allowance) अग्रिम, वेतन तथा भत्ता का अधिक भुगतान की राशि तथा अन्य बकाया का पता लगाने में सुविधा होगी । पेंशन कागजात में मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान या औपबन्धिक पेंशन/उपदान से वसूल करने की सम्पूर्ण राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है । अगर पेंशन कागजात महालेखाकार के पास भुगतान आदेश निर्गत करने हेतु भेज दिये गए हैं और बाद में सरकारी बकाये का पता चले तो उसकी सूचना उन्हें (महालेखाकार को) निश्चित रूप से अविलम्ब दे देना होगा । जिन मामले में वृहत् बकाये की वसूली नहीं करना हो, लेकिन अनिर्धारित बकाये की वसूली हेतु या अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने की स्थिति में उपदान के 10 प्रतिशत या 1,000 रु० रोकी गयी राशि सेवानिवृत्ति के 6 माह बाद स्वतः भुगतान कर दिया जायेगा । औपबन्धिक उपदान भुगतान आदेश में या (या अन्तिम उपदान भुगतान आदेश में) कार्यालय प्रधान या महालेखाकार, बिहार

द्वारा रोकी गई राशि का स्पष्ट उल्लेख इस शर्त्त के साथ कर देना होगा कि अगर 6 माह के अन्दर में रोकी गई राशि को आगे समय तक रोक रखने की कोई सूचना नहीं मिले तो व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी को स्वतः भुगतान कर देंगे। साथ-साथ पेंशनर की सूचना प्रति में भी इसका स्पष्ट उल्लेख रहेगा।

11. अभिलेख संधारण प्रभारी प्राधिकारी के ऊपर उत्तरदायित्व – पेंशन मामले के त्वरित निष्पादन सेवा अभिलेख ठीक रूप से संधारण पर बहुत ही निर्भरशील है। अतः अभिलेख आदि संधारण करने से सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी (राजपत्रित कर्मचारी के मामले में महालेखाकार) उसे उचित रूप से संधारण एवं अद्यतन रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अगर भविष्य में यह देखा जायेगा कि सेवा अभिलेख आदि का संधारण या अभिलेख उचित रूप से नहीं किया है जिसके चलते पेंशन मामले के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होगी उस स्थिति में सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

12. बैंक से पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में – वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6178, दिनांक 9 जुलाई, 1977 के अनुसार बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है। संकल्प की कंडिका 14 तथा अनुबन्ध 4 (i) में यह प्रावधान है कि वर्ष में माह नवम्बर में एक बार जो पेंशनर बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं उससे स्वयं बैंक से पदाधिकारी के जीवित रहने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करना पड़ेगा। इस प्रावधान के चलते अशक्त पेंशनर को काफी कठिनाई होती है।

इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त पेंशनर के मामले में दूसरा व्यक्ति या पेंशनर जिनका बैंक में लेखा है अगर वह जीवित होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दे देंगे तो सम्बन्धित पेंशनर को बैंक के पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जीवित रहने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. महालेखाकार से प्राधिकृत पेंशन/उपदान की सूचना के अभाव में कोषागार द्वारा भुगतान – पेंशन तथा उपदान सम्बन्धी प्राधिकार-पत्र कोषागार में उपलब्ध होने पर भी पेंशनर की प्रति जब तक उपलब्ध नहीं होती है एवं पेंशनर द्वारा उसे कोषागार को दाखिल नहीं किया जाता है तब तक पेंशनर को कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। कोषागार संहिता के नियम 375(2) तथा 384 में इस प्रकार के प्रावधान रहने के कारण पेंशनर को कठिनाई होती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोषागार में महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन/उपदान प्राधिकार-पत्र फोटो, टी छाप, हस्ताक्षर इत्यादि के साथ उपलब्ध रहे तो पेंशनर को सूचना प्रति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाये। कोषागार पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य रहेगा कि पेंशनर के फोटो, हस्ताक्षर, टीप छाप आदि के आधार पर व्यक्तिगत पहचान पर जाँच कर लें एवं भुगतान कर दें क्योंकि विलम्ब की स्थिति में प्राधिकार-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है एवं पुनः पेंशनर को नये सिरे से सूचना प्रति उपलब्ध करने में अत्यधिक समय एवं कठिनाई होती है।

14. महालेखाकार द्वारा अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद में प्रोन्नत/नियुक्त सेवक का सेवा अभिलेख संधारण – बिहार सेवा संहिता के नियम 287 एवं 296 के अनुसार अराजपत्रित पद से प्रोन्नत एवं नियुक्त होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी का सेवापुस्त महालेखाकार के कार्यालय में भेज देने का प्रावधान है। इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि महालेखाकार द्वारा अपने अंकेक्षण पंजी में सेवा इतिहास की सम्पूर्ण विवरणी दर्ज कर लिया जाये जिससे इस कोटि के पेंशन मामले के निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो। इसके प्रतिपादन हेतु वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार को सम्बोधित परिपत्रांक 8035/वि०, दिनांक 9 जुलाई, 1977 निर्गत किया गया था। पर इस पद्धति का प्रतिपालन नहीं होता है। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन कागजात के साथ सेवा-पुस्ति की माँग पुनः होती है। इसके निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस कोटि के पदाधिकारी की सेवा-पुस्त महालेखाकार के कार्यालय में प्रोन्नति/नियुक्ति की दशा में उपलब्ध होते ही अंकेक्षण पंजी में सेवा अवधि सम्बन्धी पूर्ण विवरणी अंकित कर इस हेतु एक प्रमाण-पत्र सेवा-पुस्त में अंकित कर दें तथा सेवा-पुस्त सम्बन्धित कार्यालय को लौटा दें एवं साथ-साथ सम्बन्धित पदाधिकारी को भी उस प्रमाण-पत्र की एक प्रति उपलब्ध करा दें।

15. पेंशन लघुकरण – (क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 240 (डी) के अन्तर्गत लघुकरण करने के लिए कुछ शर्त्तें निर्धारित हैं। अब निर्णय लिया गया है कि पेंशन लघुकरण के लिए कोई शर्त्त की आवश्यकता नहीं हैं।

(ख) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 246 के प्रावधानों के अधीन पेंशन लघुकरण के लिए महालेखाकार से जो प्रतिवेदन की माँग की जाती है उस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । यह निर्णय बिना स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर दोनों प्रकार के मामले में लागू होगा ।

16. दक्षतावरोध पार करने के सम्बन्ध में – सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर दक्षतावरोध पार करने का आदेश सेवापुस्त में दर्ज नहीं हो या राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में अधिसूचित नहीं हो और सम्बन्धित अराजपत्रित सेवक को दक्षतावरोध के स्तर के बाद भी वेतन वृद्धि मिलती गयी हो या एक उच्चतर वेतनमान के पद पर प्रोन्नति दी गयी हो एवं राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में सम्बन्धित विभाग द्वारा (अधिसूचना निर्गत नहीं किया गया हो एवं) उच्चतर वेतनमान के पद पर प्रोन्नति दी गयी हो तो उन मामलों में यह समझा जाये कि दक्षतावरोध पार कराया गया है एवं इसके लिए विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होगी । यह प्रक्रिया सेवानिवृत्त/मृत सेवक के पेंशन मामले के त्वरित निष्पादन हेतु अपनायी जाये ।

17. सैनिक/युद्ध सेवा की पेंशन हेतु गणना – अगर सैनिक/युद्ध सेवा गणना करने सम्बन्धित सभी कागजात (डिसचार्ज सर्टिफिकेट) सहित मौजूद हो तो महालेखाकार, बिहार नियमानुसार सैनिक/युद्ध सेवा को पेंशन गणना में शामिल कर लेंगे एवं उसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

18. न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा – वर्तमान नियम के अनुसार स्थायी सरकारी सेवक/अस्थायी सरकारी सेवक के लिए क्रमशः न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 एवं 15 वर्ष निर्धारित है । अब निर्णय लिया गया है कि दोनों श्रेणी के लिये 10 वर्ष की न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा मानी जायेगी ।

19. सेवा-पुस्त में जन्मतिथि का उल्लेख – अराजपत्रित सेवक की सेवा-पुस्त में जन्मतिथि अंक में अंकित की जाती है । अब इसे शब्दों में ही दर्ज किया जायेगा एवं उसके नीचे सम्बन्धित सेवक तथा कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जायेगा कि उन्होंने जन्मतिथि सही पाया एवं सन्तुष्ट हैं ।

20. यह आदेश तिथि 31 मार्च, 1980 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होगा । परन्तु, अभी जो पहले के पेंशन के मामले अनिष्पादित हैं, उन पर भी इस आदेश में केवल निहित प्रक्रिया लागू होगी ।

21. पेंशन नियमावली, कोषागार संहिता एवं बिहार सेवा संहिता के संगत उपबन्ध तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे । [*वित्त विभाग, संकल्प सं० 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980]

2.

***विषय : औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।**

सरकार को सूचना मिली है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका 8 (ग) के सम्बन्ध में कहीं-कहीं यह संशय उत्पन्न हो गया है कि यदि औपबंधिक पेंशन को ही अंतिम पेंशन मान लिया जायेगा तो पेंशनभोगियों को हानि होगी । संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका 8 (क) में यह स्पष्ट किया गया है कि किन मामलों में किसी अन्य कारणवश (यथा सेवापुस्ति या कागजातों के अभाव में) अंतिम पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब होता है तो कार्यालय प्रधान 100 प्रतिशत पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत कर सकते हैं । उक्त संकल्प की कंडिका 8 (ग) में उसी औपबंधिक पेंशन को दो वर्षों के बाद अंतिम पेंशन मामले की चर्चा की गयी है । इससे पेंशनभोगियों को कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं है । जिन मामलों में 90 प्रतिशत (परिपत्र सं० 9144, दिनांक 22-8-1974) या 75 प्रतिशत (परिपत्र सं० 8739, दिनांक 13-7-1967), पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया जाता है और दो वर्षों के बाद भी अंतिम पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर उसका विस्तार वित्त विभाग की सहमति से होने का प्रावधान है । अतः इस कारण भी आगे चलकर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अधिक क्षति होने का प्रश्न नहीं है ।

प्रसंगवश संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिकाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हुए यह दुहराया जाता है कि इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिसमें सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन स्वीकृत किया जा सके । इस सम्बन्ध में कारगर अनुश्रवण की व्यवस्था की जाये जिससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके ।

अतः इसका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाये । **[*वित्त विभाग, पत्र सं० पी०सी० 1-मिस 02-82/94/532 वि०, दिनांक 13-2-1995]**

3.

***विषय : सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं० 3/सी०एस०/एम०–304/91-3665, दिनांक 5-10-1993 एवं 2467, दिनांक 29-12-1995 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसके द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन उपदान तथा अनुमान्य अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ससमय उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्य सचिव द्वारा बैठकों में विभागीय सचिव का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन/उपदान तथा अन्य अनुमान्य सेवानिवृत्त लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाये ।

2. महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि पेंशन, उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ से सम्बन्धित विषयों पर विभाग/कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई ससमय नहीं की जा रही है। सी०डब्लू०जे०सी० नं० 4265/94 मो० रुक्मिन्नी देवी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति संलग्न है ।

3. अनुरोध है कि सेवानिवृत्त अनुमान्य लाभ के बिन्दु पर स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर नियमित समीक्षा करें तथा सेवानिवृत्त अनुमान्य लाभ को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप से भुगतान कराना सुनिश्चित करें । [***बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्र संख्या 3/सी०एस०/एम०–701/93-943, दिनांक 6 अप्रैल, 1996**]

4.

Office of the Advocate General, Bihar, Patna

Patna High Court, Patna.

No. 3167 Patna, dated the 27th March, 1996

From,

Sri Rameshwar Prasad,

Advocate General, Bihar.

To,

The Chief Secretary, Bihar, Patna.

Ref. No. C.W.J.C. No. 4265èk94

Mostt. Rukmanni Devi Vs. State and others.

Copy of the order dated 29-2-1996 passed by Hon'ble Mr. Justice Radha Mohan Prasad in aforesaid case is being enclosed herewith for circulation as directed in paragraph 18 of the order for its strict compliance.

In the High Court of Judicature at Patna

C.W.J.C. No. 4265 of 1994

Mostt. Rukmani Devi Vs. The State of Bihar & others

This writ petition has been filed by the widow of Barrister Ram, who died in harness on 14-6-1974 while posted at Vijaipur Block in the district of Gopalganj, seeking a direction to the respondents to pay the family pension month to month alongwith other dues, for which she is entitled after the said demise of her husband besides other legal dues, for which her husband was entitled and not paid.

2. The petitioner being 'Mehtar' by caste is member of the scheduled caste. It is stated that her husband was put under suspension sometime in the year 1970-71 when he was working as a Circle Inspector under the State Service. A departmental proceeding was initiated against him, after conclusion of which

his suspension was revoked, but he was demoted to the post of a Karamchari. Thereafter he joined as Karamchari at Vijaipur block where after serving about a year, he died in harness on 14-6-1974. It is claimed that the petitioner met the respondents on a number of occasions and that she was assured of the payment, which remained to be paid but that has not been paid so far. Further, it is stated that the petitioner is an illiterate old widow facing acute hardships on account of non payment of the family pension and other legal dues of her late husband. She being not aware of all the dues payable to her late husband seeks indulgence of this court to direct the respondents to file statements in this regard as to the payments admissible to her late husband.

3. Despite service of two copies of the writ petition on the learned Advocate General appearing for the State of Bihar and its office namely, the District Magistrate, Gopalganj and the Circle Officer Vijaipur, Block (Respondent nos. 3 and 4) as also on the learned standing Counsel appearing for the Accountant General, Bihar on 3-5-1994 no counter affidavit has been filed on behalf of the respondent State, and its officers. By order dated 19-12-1995 four weeks time was granted to the learned counsel for the State to file counter affidavit to be affirmed by the District Magistrate, Gopalganj. Despite all these no counter affidavit has been filed on behalf of the State and its officers. Learned J.C. to G.P.I. States that despite instructions being sought from the respondents no instruction has been received from them so far.

4. However, a counter affidavit has been filed on behalf of the Accountant General, Bihar (respondent no. 2). In the said counter affidavit it is stated that in the absense of the details in the writ petition of referece of pension papers alongwith service book and sanction order for family pension and gratuity made to the office of the said respondent, the same could not be traced out. Hence letters have been sent to the concerned authority of the State Government vide letter no. pen-IC-194 dated 16-6-1994 and reminder that to also on 15-7-1994. In reply to the same the Establishment Dy. Collector, Gopalganj vide letter no. 127, dated 12-8-1994 sent a letter of Circle Officer, Vijaipur that pension papers could not be submitted in absence of service book and required papers. It is further stated that the office of the Accountant General has again required papers. It is further stated that the office of the Accountant General has again requested the Department vide letter no. pen 16-384, dated 20-10-1994 and subsequent reminder letter no. pen 16 434, dated 6-12-1994 to send the pension papers along with sanction order. True copies of the letters have been annexed as Annexure A.B.C.D. and E respectively to the counter affidavit. Similarly, it is stated that in absence of General Provident Fund Account no. in the writ application, the petition could not be checked in the office of the said respondent. Hence, the G.P.F. Account no. was also called for vide letter no. FD-CL-117, dated 15-6-1994 and in reply, the Circle Officer, Vijaipur, vide his letter no. 817, dated 5-8-1964 intimated that no G.P.F. Account number was alloted to the late husband of the petitioner.

5. I may re-iterate here that the husband of the petitioner died on 14-6-1974, but no action whatsoever appears to have been taken by any of the respondents during the last twenty years and when the petitioner was facing acute hardship on account of non-payment of the family pension and other legal dues, she was compelled to file this writ petition on 4-5-1994.

6. Every day I find that in most of the writ applications grievances are raised regarding non-payment of post retirement dues as well as other legal dues to the concerned Government servants andèkor to their legal heirs and representative and despite service of two copies of the writ application on learned Advocate General appearing for the State Government and its officers respondents, as per the rules of this Court, in which a provision was introduced for service of two copies of the writ application on the learned Advocate General in order to expedite disposal of the writ applications at the admission stage itself, no instruction is given by the respondents to the learned State Counsel and the matter has to be adjourned only for that purpose. Ultimately, even if in any case counter affidavit is filed, no plausible explanation is given for with-holdingèknon payment of the legal dues including post retiral dues of the Government servants and usually this court has to pass ordes only fixing time for action to be taken by the different authorities for final disposal of the claims. It appears that non-payment of the post retiral dues of the concerned government servants in this State in normal course has become an usual phenomenon, wich has unnecessarily increased the number of pendency of the cases in this court. In most of the cases no steps are taken until the Government servants or their legal heirs and representative file writ petition claiming payment of the legal dues including the post retiral dues and ultimately. It is found that only on account of inaction on the part of the State authorities sanction orders for payment of such dues are not issued without there being any valid jurisdiction.

7. The Supreme Court in the case of State of Kerala and others vs. M.P. Padnabhan Nair, reported in A.I.R. 1985 S.C. 356 realising the agony and harassment of the retired employees at the fag end of their life observed as follows—

> "Usually the delay occurs by reason of non production of the L.P.C. (Last pay certificate) and N.L.C. (No liability certificate) from the concerned Department but both these documents pertain to matters, records where of would be with the concerned Government Departments. Since the date of retirement of every Government servant is very much known in advance we fail to appreciate why the process of collecting the requisite information and issuance of these two documents should not be completed at least a week before the date of retirement so that the payment of gratuity, amount could be made to the Government servant on the date he retires or on the following day and pension at the expiry of the following month. The necessity for prompt payment of the reitrement dues to a Government servant immediately after his retirement can not be over emphasised and it would not be unreasonable to direct that the liability to pay penal interest on these dues at the current market rate sould commence at the expiry of two month from the date of retirement."

8. It was also held by the apex court in the said case that—

> "Pension and gratuity are no longer any bountry to be distributed by the Government to its employees on their retirement but have become under the decision of this court valuable rights and property in their hands."

9. It was also observed in said decision that the State Government may consider whether the erring official should or should not be directed to

compensate the Government the loss sustained by it by his culpable lapses and that such action if taken would help to generate in the official of the State Government a sense of duty towards the Government under whom they serve as also a sense of accountability to members of the public.

10. Earlier, I had requested the learned Advocate General to get this problem solved in consultation with the high ups in the State Government. The learned Advocate General informs today that he had discussed the matter with the Chief Secretary and the Chief Secretary has already issued instruction to all Heads of the concerned Departments that the process of calculation of post retiral dues of the Government servants must be started six months before the date of their retirement or immediately thereafter and necessary payment orderèksanction, order be also issued. But I do not find any improvement in disposal of such claims.

11. Would like to mention here that in many cases I have found that after the Government servant superannuates from the service, action is taken for recovery of sums alleged excess payment without following the law relating to it contained in Rule 43 (b) andèkor Rule 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 which in my opinion is just a malafide attempt either to unnecessary harass the government servant or to cover up the laches on the part of the State authorities. Such decision should be avoided and only the action, which is permissible in law should be taken, otherwise the State Government must fix, the responsibility and punish the concerned officer, who is Ultimately found responsible or such malafide action being taken after the retirement of the Government Servant. The law regarding application of Rules 43 (b) and 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 came up for consideration before the apex court in the case of State of Bihar Vs. Md. Idris and by a judgement and order passed in the said case reported in 1955 (2) PLJR 51 the apex court has settled issue. Thus in my opinion, in all such cases the concerned authorities must re-examine the claims of the concerned retired Government servant and dispose it of by a reasoned order.

12. Further I have found that in the garb of non-compliance of the formalities by the concerned Government servant or their legal heirs and representatives the payment of legal dues are withheld. In my opinion, that is also not a correct approach of the authorities in the State, which they only realise after their own retirement when they are also faced with similar situation. In the practice prevailing in the State all Government servants are aware that the details of various deductions made from their salary, which, under the rules are required to be communicated to the concerned Government servant are aware that the details of various deductions made from their salary, which, under the rules are required to be communicated to the concerned Government servant by the authorities concerned, are normally not supplied to them, thus, in my opinion, it is too much too except that the Government servant concerned and particularly after his legal heir and representative would be able to meet the said requirements. The entire records in regard to deductions made from the salary of the government servant towards G.P. Fund and other accounts andèkor advances given to them are maintained in the concerned departments of the State Govt. The date of retirement of every Government servant is also very much known in advance. Thus, I am unable to appreciate why the process of

collecting the requisite information and issuance of necessary sanction order should take years and the formalities be not completed before their date of retirement, so that the payment are made to Government servant on the date he retires, or, on the following day and pension at the expiry of the following months.

13. The other plea taken which I have noticed in many cases, specially by the Universities, Board, Zila Parishad, Corporations and other undertakings of the State Government is that the payment of such dues, specially post retiral dues could not be made due to paucity of funds. I am unable to appreciate how paucity of funds can be ground to deny the payment of the legitimate dues of the employees specially the post retiral dues, in which case, after retirement one has to discharge various liabilities, such as marriage of wards, arranging for their livelihood, constructing at least a shed to live in etc.

14. Having regard to the aforementioned facts and circumstances, as also so considering the large number of pendency of cases in regard to retirement benefit matter in this court, I am constrained to pass a general order that the concerned Government servants or their legal heirs and representatives should raise their claims afresh by filing representation in which they should give full details of their claim and also full address for communication hence forth before the concerned Head of Departments, who shall grant a receipt in token thereof. The heads of the respective departments shall get the entire claim filed before him examined through various concerned authorities including Director, Provident fundèkDistrict Provident fund officers and finally dispose them of by reasoned order dealing with each and every claim separately and shall also issue necessary sanction orderèkauthority slip for payment of admitted dues with statutory interest well as the interest as per various Government circularsèkdecisions taken in and that regard within a period of two months of the receipt of the claim.

15. It is made clear that the main responsibility for payment of all the admitted dues of the concerned government servants shall be of the heads of the concerned Department. In case of any dispute, in regard to any of claims, they shall assign reasons for not accepting the same and shall communicate to the concerned Government servantèkperson within the aforesaid time. If any of the formalities, such as filing of the indemnity bond or succession certificates etc, are to be completed by the claimant, then they must be communicated much before the expiry of the said period, so that the claimant may meet the said requirement and the delay in payment of the legitimate dues is avoided.

16. The Accountant General, Bihar, who is represented by Mrs. Renuka Sharma, learned standing Counsel, is directed to issue necessary authority slip within one month of the receipt of the sanction order from the concerned authority in the State Government.

17. It is further made clear that non-compliance of any part of the aforesaid directions by any of the concerned authorites would constitute contempt of this court and will be seriously viewed. This court may also consider to award heavy penal interest and costs besides imposition of punishment in the contempt proceeding against the concerned heads of DepartmentèkAccountant General, Bihar, which shall be realised from their pocket.

18. Let a copy of this order be given to the learned Advocate General for forwarding it to the Chief Secretary, who shall circulate it to all the heads of

departments for its strict compliance. The office is directed to send a copy of this order directly also to the Chief Secretary, Govt. of Bihar and as to the Director, G.P. Fund, Bihar for circulation and its strict compliance.

19. Let a copy of the this order be also given to Mrs. Renuka Sharma, learned standing Counsel for Union of India appearing for the Accountant General, Bihar and a copy of the same be also directly forwarded to the Accountant General, Bihar for its strict compliance.

20. The office is directed to prepare the required number of copies of this order for sending them to the aforementioned official authorities.

21. In the instant case, as it is submitted by Mr. Jainandan Singh, learned Addl. Standing Counsel for the Accountant General, Bihar that the Accountant General's office has not received the details of the sanction order. I direct that the petitioner should raised her claim before the concerned Head of Department and the concerned authorities will act in terms of the aforesaid general directions within the time fixed.

22. The writ application accordingly stands disposed of.

5.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन ।**

बिहार पेंशन नियमावली का नियम 188 देखें । इसका उद्देश्य सरकारी सेवक को उसी तिथि से पेंशन–प्राप्ति का आरंभ सुनिश्चित करना है जिस तिथि को वह देय हो गई है । बावजूद इसके ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद अब भी पेंशन मामले के अन्तिमीकरण और वास्तविक रूप से पेंशन स्वीकृति में काफी विलम्ब हो रहा है ।

2. पेंशन मामले के अंतिमीकरण में विलम्ब कम करने के एक और प्रयास के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग/अध्यक्षालय में किसी पदाधिकारी विशेष को सम्पर्क पदाधिकारी जैसा पदनामित किया जाए जो विभागीय अध्यक्षालय में सभी पेंशन–मामलों के सहेजने को उत्तरदायी होंगे और जिन्हें पेंशन अंतिमीकरण में विलम्ब सम्बन्धी सभी मामले प्रतिवेदित किये जायेंगे । उक्त पदाधिकारी के पास सभी पेंशन मामले सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन और उन पर प्रगति सम्बन्धी जानकारियाँ समय–समय पर भेजी जायेंगी । यदि आवश्यक होगा, वह महालेखाकार से पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महालेखाकार से सम्पर्क करेंगे और आवश्यक निदानात्मक कदम उठाये जाने के उद्देश्य से सम्बद्ध विभागीय सचिव को विलम्ब वाले विशेष मामले की जानकारी देंगे ।

3. विभागों से भी अनुरोध है कि वे अपने अधीन और स्वयं से संलग्न वैसे कार्यालयों में उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों को तत्समान पदनामित करने के प्रश्न की समीक्षा करेंगे जिन कार्यालयों की स्थापना बड़ी है और जिनमें पेंशन मामलों के अन्तिमीकरण में विलम्ब की संभावना है । तत्प्रयोजनार्थ इस प्रकार पदनामित पदाधिकारी उन स्थापनाओं के पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन और सम्बद्ध प्रशासी विभाग के सम्पर्क पदाधिकारी को (सूचना देने) के उत्तरदायी होंगे ।

4. वित्त विभाग को प्रसन्नता होगी यदि उपर्युक्त व्यवस्था के अमल में आने के छह महीने बाद सरकारी विभाग व्यवस्था के कारगर होने के सम्बन्ध में अपना विचार हमें भेजेंगे ।

5. सम्पर्क पदाधिकारी के पदनाम से अभिहित होनेवाले पदाधिकारियों के नाम महालेखाकार, बिहार और वित्त विभाग को भी संसूचित कर दिये जायें । [*ज्ञापांक 228 एफ०आर०, दिनांक 5-8-1958]

6.

***विषय : पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर कड़ी–से–कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में ।**

प्राय: सरकार को देखने में यह आ रहा है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1070–वि०, दिनांक 23 जनवरी, 1974 में निहित सेवा से निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन कागजात तैयार करने के सम्बन्ध में

आदेशों की उपेक्षा बहुत से कार्यालयों द्वारा की जा रही है । महालेखाकार, बिहार के पेंशन से सम्बन्धित आपत्तियों के निबटारे में भी इन कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है । निर्धारित समय पर औपबन्धित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति नहीं होने तथा पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को नहीं भेजे जाने के कारण सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है । संक्षेप में, अभी भी बहुत से कार्यालयों द्वारा पेंशन मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है एवं सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है ।

2. मंत्री परिषद् ने दिनांक 10 मई, 1974 की विशेष बैठक में कार्य निष्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया है –

"कार्य निष्पादन से अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर तद्नुसार कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाये ।"

3. उपरोक्त निर्णय के सन्दर्भ में यह कहना है कि पेंशन मामलों के सम्बन्ध में भी ऐसी शंका होती है कि भ्रष्टाचार के कारण ही बहुत मामलों में इसके निष्पादन में विलम्ब किया जाता है एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को परेशान किया जाता है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भी भ्रष्टाचार माना जाये तथा इसके लिए उत्तरदायी सरकारी सेवकों को कड़ी-से-कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

4. इस आदेश को कृपया आवश्यक समझा जाये एवं अपने विभाग/कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे निश्चित रूप से अवगत कराया जाये जिससे पेंशन मामलों के विलम्ब के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ भी गलतफहमी नहीं रह जाये । इस प्रसंग में, आपका ध्यान मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या 5232 वि०, दिनांक 23 मई, 1974 की कण्डिका 6 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है । [*ज्ञाप संख्या 10804 वि०, दिनांक 9-10-1973]

7.

*विषय : सभी तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) की विलम्ब से अदायगी पर ब्याज की अदायगी ।

पेंशन मामलों के निष्पादन में विलम्ब को रोकने के लिये अब तक किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद सरकार यह जानकार दुःखी है कि विलम्ब का अबतक पूरा-पूरा अन्त नहीं हुआ है और परिणामस्वरूप पेंशनलाभियों और मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को वित्तीय कष्ट और मौद्रिक हानि झेलनी पड़ती है । उपर्युक्त स्थितियों के दृष्टिकोण से और कष्ट झेलनेवालों को ब्याज के रूप में प्रतिपूर्त्ति करने की वांछनीयता पर विचार करते हुए तथा विलम्ब के उत्तरदायी सरकारी सेवकों के लिए वित्तीय दंड का विधान करते हुए राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिये हैं –

(ए) सब तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के विलम्बित भुगतान पर, जबसे पेंशन/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान बाकी होता है, उसके तीन महीना बाद से 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उस महीना के पूर्ववर्ती महीना के अन्त तक की अवधि के लिए देय होगा जिस महीना में अंतिम पेंशन की अदायगी वस्तुतः आरंभ होगी और/या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी वस्तुतः की जायेगी । ब्याज उन्हीं मामलों में देय होगा जिनमें यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जायेगा कि पेंशन/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी में देर प्रशासनिक चूक या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या मृत सरकारी सेवक के परिवार के नियंत्रण के परे कारणों से हुई । वित्त विभाग के परामर्श से सम्बद्ध प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज-अदायगी के प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा, और ब्याज-अदायगी को सरकारी आदेश से प्राधिकृत किया जाना अनिवार्य होगा । उन सभी मामलों में जिनमें ब्याज अदा किया जायेगा, ब्याज की पूरी राशि उन सरकारी सेवकों से वसूल की जायेगी जो विलम्ब के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(बी) सरकारी सेवक, जो निलम्बन में हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या जाँच का समापन उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हुआ है, केवल औपबन्धिक पेंशन के लिए प्राधिकृत हैं; देखें वित्त विभाग का ज्ञापांक 9144 एफ०, दिनांक 22-8-1974 । इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही के समापन और तदुपरान्त अंतिम आदेश निर्गत होने तक ऐसे मामलों में अंतिम पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान नहीं दिये जायेंगे । अतः ऐसे मामलों में अंतिम पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, यदि कार्यवाही की समाप्ति पर सक्षम

प्राधिकारी द्वारा निकाला जाना अनुमत किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किये जाने की तिथि को बाकी समझा जायेगा, और यदि अंतिमीकरण के तीन महीने के तुरंत बाद अदा नहीं किया जायेगा तो ब्याज अनुमत किया जायेगा ।

(सी) तथापि ब्याज की अदायगी उन पेंशन/उपदान के बकाये की अदायगी के मामलों को लागू नहीं होगी जो सरकारी सेवक की निवृत्ति/मृत्यु के बाद उपलब्धियों की बढ़ोत्तरी या उनकी निवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पूर्व के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के उदारीकरण के परिणामस्वरूप बाकी आयेगी ।

2. ये आदेश उन मामलों में प्रभावी होंगे जिनमें सरकारी सेवक की निवृत्ति/मृत्यु इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद हुई हो । उन सरकारी सेवकों के मामले भी इन आदेशों से आच्छादित होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु इस तिथि के पहले हुई हो बशर्ते उनके मामलों में पेंशन/उपदान की अदायगी इन आदेशों के निर्गम की तिथि से तीन महीने के अन्दर नहीं हुई हो, परन्तु ऐसे मामलों में इस तिथि के बाद केवल तीन महीने से ब्याज देय होगा । [*ज्ञापांक पी०सी०-2-1-16/79/3155, दिनांक 7-11-1981]

8.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन – सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टियाँ दर्ज करना – सेवा का सत्यापन ।**

कहना है कि बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड 1 के नियम 101 के तहत् वर्ष के आरंभ में एक निश्चित समय पर कार्यालय प्रधान सेवा-पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे और अपना समाधान करने के बाद कि प्रत्येक सेवा-पुस्तिका में सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवायें सही-सही दर्ज हैं, निम्नांकित फारम में अपने हस्ताक्षर सहित प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगे –

"(अभिलेख जिससे सत्यापन किया जा रहा है) – की सहायता से (दिनांक) – तक सेवा सत्यापित की गई ।"

यदि उपर्युक्त नियम में विहित प्रमाण-पत्र से भिन्न (प्रमाण-पत्र) सेवा-पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा तो पेंशन-दावे के विस्तार में विलम्ब की संभावना होगी ।

2. अतः अनुरोध है कि बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड 1 के नियम 101 में विहित प्रक्रिया के ठीक-ठीक अनुपालन के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों पर कृपया जोर दिया जाए । [*ज्ञापांक पेन-1015/64- 6885 एफ०, दिनांक 18-6-1964]

9.

***विषय : सरकारी आवासीय आवास के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवक से किराये और अन्य बकाये की वसूली – लेखा-निबटारे के लिए प्रतिभू-बंधपत्र का प्रावधान ।**

राज्य सरकार को देखने में आया है कि सरकारी सेवकों के पेंशन मामलों के अन्तिमीकरण में विलम्ब सामान्यतः सरकारी आवासीय आवासों के सम्बन्ध में किराये और अन्य बकाये के गैर-निबटारे के कारण होता है । वर्तमान किराया प्रक्रिया में बिहार सेवा संहिता की परिशिष्ट 8 के नियम 11 (बी) के अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एक विनिर्दिष्ट अवधि तक सरकारी निवास को कब्जाकृत रखने के हकदार हैं । उनके अंतिम लेखा का तभी निबटारा होता है जब निवास वस्तुतः खाली कर दिया जाता है, सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा सभी बकाये किराया और अन्य अदायगियाँ वसूल कर दी जाती हैं और "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाता है । इस तरह वर्तमान नियम उस व्यक्ति को जो शीघ्र निवृत्ति पर जानेवाला है कुछ हद तक कठिनाई में डाल देता है क्योंकि लेखा के निबटारा और तदुपरान्त पेंशन की अदायगी में काफी विलम्ब होता है ।

2. पेंशन के अंतिमीकरण में मकान-किराया के अलावे अन्य सरकारी बकाये जैसे वेतन, भत्ते या छुट्टी वेतन की अधिक निकासी वाहन, गृह-निर्माण या अन्य प्रयोजन तथा कई अन्य बकायों की गैर-अदायगियाँ जिनकी ठीक-ठीक राशियों का निर्धारण उस वक्त तक नहीं होता है, विलम्ब की वजहें होती हैं ।

यदि वैसा कोई बकाया किसी वजह से अनिर्धारित और गैर वसूल रह गया हो तो निम्नांकित तरीकों में से कोई अपनाया जा सकेगा ।

(1) निवर्तमान सरकारी सेवक को किसी उपयुक्त स्थायी सरकारी सेवक का प्रतिभू देने को कहा जा सकेगा। यदि उसके द्वारा दिया गया प्रतिभू प्रतिग्राह्य पाया जाए तो उसके वेतनादि के अंतिम दावा और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के निर्गम पर उसकी पेंशन या उपदान की अदायगी नहीं रोकी जाए।

प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाला बन्ध-पत्रक एक फारम अनुलग्न है।

(2) यदि निवर्तमान सरकारी सेवक प्रतिभू देने को असमर्थ या अनिच्छुक हो तो उनसे उपयुक्त नकद जमा लिया जा सकेगा या उपदान की उतनी राशि मात्र जो पर्याप्त समझी जाए, बाकी पड़े बकाये के निर्धारण और समंजन तक रोक रखी जा सकेगी।

ऐसे सभी मामलों में तीन महीने के भीतर बाकी पड़ी राशियों के निबटाये जाने के लिए प्रयास किये जायें जिससे प्रतिभू की मुक्ति और सरकारी सेवक को देय राशियों की अदायगी में अनुचित विलम्ब न हो।

3. अतः अनुरोध है कि जब यह अनुमान लगाया जा सके कि सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" के अभाव में पेंशन मामले का अंतिमीकरण में विलम्ब होगा तो अविकल रूप से उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जाए।

बंध-पत्र का फारम

बिहार सरकार जो एतदुपरांत 'सरकार' से अभिहित हैं और जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती होंगे, के द्वारा कार्यपालक अभियंता/नगर निगम से 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' के प्रस्तुतीकरण के बगैर श्री/श्रीमती ..... के अंतिम लेखा निपटाने को सहमत होने के प्रतिफल के रूप में मैं ..... एतद् द्वारा सभी तरह की हानि और क्षति के प्रति जो सरकार द्वारा उक्त श्री किसी निवास के आवंटित रहने के कारण भविष्य में समय-समय पर आवंटित किये जाने के कारण, उक्त निवास रिक्त हालत में सरकार को सौंपे जाने तक कारित होगी, प्रतिभू (जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती होंगे) होता हूँ।

मैं एतद्द्वारा उस किसी राशि के लिये भी प्रतिभू होता हूँ जो उक्त श्री/श्रीमती ..... से सरकार को वेतन, भत्ते, छुट्टी वेतन, वाहनों, गृह-निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम रूप में अधिक अदायगी राशियाँ जो सरकार द्वारा उक्त श्री/श्रीमती ..... की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अधीन या उसके सम्बन्ध में दी जायेंगी या देय होगी या जो कुछ भी सरकार के अन्य बकाये हों।

मेरे द्वारा वचनबद्ध किया गया उत्तरदायित्व उक्त श्री/श्रीमती ..... को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया किसी अवधि-विस्तार या छूट के कारण नहीं सम्पन्न होगा और सरकार को बिना गारंटी को प्रभावित किये पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त श्री/श्रीमती ..... के प्रति किसी समय या समय-समय पर स्वयं द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का या तो इस्तेमाल करे या उनसे बाज आए और मैं इस गारंटी के तहत् दायित्व से, सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के प्रयोग के चलते या सरकार की ओर से किसी अन्य प्रविरति, कार्य या कार्रवाई के चलते या उक्त श्री/श्रीमती ..... के प्रति सरकार किसी अनुग्रह के चलते या अन्य किसी भी बात या चीज जो, यदि यह प्रावधान न होता, प्रतिभू सम्बन्धी विधि के अधीन मुझे इस तरह के दायित्व से मुक्त करने जैसा प्रभावकारी हुआ होता, के चलते मुक्त नहीं होऊँगा।

यह गारंटी प्रभावी रहेगी –

(1) जबतक कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त श्री ..... के पक्ष में "बेबाकी प्रमाण-पत्र" न दिया जाए,

(2) जबतक उस कार्यालय का प्रधान जिसमें उक्त श्री/श्रीमती ..... अंतिमतः नियुक्त थे/थीं और यदि वह राजपत्रित सरकारी सेवक बिल फारम पर वेतन और भत्ते निकाल रहे थे/रही थीं तो अंकेक्षण पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र न दें कि उक्त श्री/श्रीमती ..... से सरकार को अब कुछ भी देय नहीं है, और

(3) जबतक ..... नगर निगम द्वारा उक्त श्री/श्रीमती ..... के पक्ष में जल और विद्युत शुल्क विषयक् बकायों जिसके लिए सरकार ने उक्त श्री/श्रीमती ..... की ओर से गारंटी दी थी, के सम्बन्ध में, "बेबाकी प्रमाण-पत्र" न दे।

सरकार इस लिखित पर लगनेवाला स्टाम्प-शुल्क वहन करेगी । .....

प्रतिभू के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... को ..... (स्थान) पर उक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

उपस्थिति में –

1. हस्ताक्षर –

पता और पेशा –

[*ज्ञापांक पेन-1018/63-10290 एफ० 1, दिनांक 22-9-1961]

10.

***विषय : पेंशन और उपदान के लम्बित मामले ।**

पेंशन मामलों के निष्पादन को त्वरित करने के लिए महालेखाकार, बिहार ने सुझाव दिया है कि उनके कार्यालय में लम्बित पड़े पेंशन मामलों/उपदान मामलों के त्रैमासिक विवरण उन्हें अधिकतम एक महीना के भीतर प्रस्तुत किये जायें । विवरण में उन पत्रों के ब्योरे दिये जायें जिनके साथ पेंशन/उपदान की अनुमान्यता पर रिपोर्ट के लिए पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजे गए या उन पत्रों के ब्योरे जिनमें पेंशन/उपदान की स्वीकृति के लिए पेंशन कागजात उन्हें भेजे गये । अत: अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त हुए त्रिमासों के लिए प्रत्येक विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित विवरण क्रमश: 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्तूबर और 31 जनवरी तक उनको भेजे जायें । उक्त विवरण की एक-एक प्रति वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को भी भेजी जाए ।

2. महालेखाकार, बिहार कार्यालय में लम्बित पड़े पेंशन मामलों के त्रैमासिक विवरणों के साथ प्रत्येक विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित अन्य मामलों का विवरण भी वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को उपर्युक्त तिथियों तक भेजा जाये । **[*ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०-1145, दिनांक 25-2-1954]**

11.

***विषय : पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये बेबाकी (नो डिमाण्ड) प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण ।**

विद्यमान प्रक्रिया में प्रत्येक निवर्तमान सरकारी सेवक के सम्बन्ध में बेबाकी प्रमाण-पत्र देना होता है कि उसके जिम्मे सरकार का कोई बकाया नहीं है । वर्तमान निर्देशों में यह भी उपबन्ध है कि 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' न देने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जा सकेगा यदि निवर्तमान पदाधिकारी उपयुक्त स्थायी सरकारी सेवक को प्रतिभू बनावें या उपयुक्त नकद जमा दें या उपदान के अंश को रोक रखे जाने की सहमति दें । तथापि, पाया गया है कि इन उक्त प्रावधानों के बावजूद भी पेंशन मामलों के अंतिमीकरण में निरपवाद रूप से विलम्ब हो रहा है और निवर्तमान सरकारी सेवक घोर कष्ट झेल रहे हैं ।

2. अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद से एक वर्ष के अन्दर कोई दावा नहीं पेश किया जाए तो यह पूर्वकल्पना की जाये कि सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकार का कोई दावा नहीं है ।

जहाँ तक सरकारी आवास के सम्बन्ध में मकान-भाड़ा बकाया का सम्बन्ध है, एक वर्ष की अवधि पदाधिकारी की सेवा-निवृत्ति की तिथि से या सरकारी आवास खाली करने की तिथि से, जो भी बाद की हो, समझी जाये । इस अवधि की समाप्ति के बाद जमा, प्रतिभू-बंधपत्र या सरकारी बकाये के लिए रोका गया उपदान मुक्त कर दिया जाये । किन्तु बकाये यों ही वसूल नहीं हो जायेंगे और इन्हें विधिक प्रक्रिया से वसूल किये जायें ।

3. सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पहले 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने को सुनिश्चित बनाने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया विहित की जाती है –

(i) सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता प्रत्येक वर्ष जुलाई में सभी सरकारी सेवकों (राजपत्रित और अराजपत्रित) के सम्बन्ध में बकाये की एक सूची बनायेंगे और राजपत्रित पदाधिकारियों की स्थिति में, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को तथा अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में, कार्यालय प्रधान को भेजेंगे ।

पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी सामान्य स्वीकृति जारी करते समय यह सूची देखेंगे ।

(ii) कार्यालय प्रधान प्रत्येक वर्ष जनवरी में उन सभी अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूची बनायेंगे जो उनके अधीन हैं और 18 महीने के भीतर निवृत्त होने वाले हैं । [*ज्ञापांक पेन–1021/68/13313-एफ०, दिनांक 4-12-1968]

12.

***विषय : सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवकों से सरकारी आवसीय निवास के सम्बन्ध में किराया, अन्य बकाए की वसूली ।**

उक्त विषयक् इस विभाग के ज्ञापांक 10290 एफ० 1, दिनांक 22 सितम्बर, 1953 का निर्देश करते हुए कहना है कि ऊपर में निर्देशित इस विभाग के ज्ञाप में सुझाई गई प्रक्रिया, यानी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा प्रतिभू-बंधपत्र का निष्पादन का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक की उस कठिनाई को कम करना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किराए और अन्य बकाए के गैर निबटारे की वजह से उठानी पड़ती है तथा उन्हें पेंशन मामले के अंतिमीकरण में होनेवाले विलम्ब से बचाना है ।

तथापि सर्वाधिक उचित तो यह होगा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सम्बद्ध सरकारी सेवक से बाकी पड़े सभी बकायों को निश्चित करके वसूल कर लिया जाए । जहाँ राजपत्रित सरकारी सेवक का सम्बन्ध है, ऐसा कर पाना सर्वथा संभव है यदि सेवक काफी पहले सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता या अन्य किराया अधिकारी को निर्देशित करके स्वयं द्वारा उस अवधि विशेष, यथा छह महीने, पहले के लिये जबकि वे अपने आवंटित सरकारी आवास को खाली करेंगे, देय किराया राशि निश्चित करवाने के लिये कदम उठायें । उसके बाद पदाधिकारी अपने वेतन-विपत्र से तद्नुसार आवश्यक कटौती करेंगे और महालेखाकार कार्यालय को पूर्वावेक्षण के लिए अंतिम वेतन-विपत्र, उसमें से बाकी पड़े किसी किराया के अतिशेष की कटौती करते हुए और पौर्विक वेतन-विपत्रों के टी०वी० नम्बर और तिथि अंकित करते हुए जिनमें उसने कार्यपालक अभियंता के निर्देशों के अनुसार कटौती की है, समर्पित करेंगे । इस तरह अंतिम वेतन-विपत्र का त्वरित निष्पादन और फलस्वरूप पेंशन भुगतान का तुरंत अंतिमीकरण हो सकेगा ।

जबकि महालेखाकार कार्यालय सम्बद्ध पदाधिकारियों को यथावश्यक करने को स्मार देगा और कार्यपालक अभियंता को सम्बद्ध पेंशनलाभी और साथ-साथ उसके कार्यालय को जानकारी देने के लिए अनुरोध करेगा, यह उनके अपने ही हित में होगा कि वे काफी पहले अपने तरफ से कार्यपालक अभियंता के स्तर पर इस पर काम करवावें और वह भी हर हाल में उस समय के कम-से-कम छह महीना पहले जब वे अपने दखलकार सरकारी क्वार्टर को खाली करना चाहते हैं ।

अतः सरकार के विभागों/अध्यक्षालयों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को तद्नुसार निर्देश देंगे । [*ज्ञापांक पेन–1018/63-10291 एफ० (1), दिनांक 22-9-1964]

13.

***विषय : पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) का दाखिल करना ।**

मकान के सम्बन्ध में माँग रहित प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण निवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्यूटी का अन्तिम भुगतान करने में बहुत विलम्ब होता है । अतः महालेखाकार, बिहार के परामर्श को निभाते हुए उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन 1021/68-13313, दिनांक 4-12-1968 की कंडिका 2 का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए यह कहना है कि सरकारी मकान के बकाए के सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय किया है कि अब सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से ही एक वर्ष की अवधि की गणना की जायेगी । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर जमा की गई राशि या प्रतिभू बन्धक (सिक्युरिटी बॉंड) या ग्रेच्यूटी से रोकी गई राशि को मुक्त (रिलीज) कर दिया जायेगा । लेकिन इसके कारण बकाया स्वयं व्यपगत (लैप्स) नहीं होगा और उसकी वसूली कानूनी प्रक्रिया से की जायेगी ।

2. अतः सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ही सरकारी मकान के किराया सम्बन्धी माँग रहित प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) या बकाया किराया के सम्बन्ध में जो माँग हो उसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को अवश्य दी जाये । [*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० 1037-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973]

14.

***विषय : पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना ।**

मकान किराया सम्बन्धी बकाया-चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल करने के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के पत्रांक पेन-1021/68–13313 वि०, दिनांक 4-12-1968 एवं पेन 1037/70–1393 वि०, दिनांक 9-2-1973 के द्वारा आदेश निर्गत किए जा चुके हैं फिर भी समय पर मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण-विभाग द्वारा निर्गत नहीं होने के कारण पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी विलंब होता है, फलस्वरूप सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है । यह भी उल्लेखनीय है कि निवृत्ति के पूर्व जो सरकारी सेवक आवास छोड़ देते हैं या भाड़े के मकान में रहते हैं या अपने मकान में रहते हैं उन्हें भी मकान किराया बकाए-चुकती-प्रमाण पत्र दाखिल करने का शिकार बनना पड़ता है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व सरकारी आवास छोड़ देते हैं अथवा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले से ही अपने मकान में या भाड़े के मकान में रहते हों उन्हें लोक निर्माण विभाग के मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल नहीं करना पड़ेगा । इन सरकारी सेवकों के पेंशन कागजात एवं अन्तिम वेतन विपत्र, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी सरकारी आवास में नहीं रहने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र के साथ स्वीकृति देते हुए महालेखाकार के कार्यालय को भेज देंगे ।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... (सेवानिवृत्त होने वाले सेवक का नाम एवं पदनाम) सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले से ही आवासों में नहीं रहते हैं ।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक निवृत्ति के पूर्व दो वर्ष या उससे अधिक अवधि तक बिना किराए के सरकारी भवन में (रेन्ट फ्री क्वार्टर) में थे उन्हें भी "नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट" देना नहीं होगा । उनके सम्बन्ध में भी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी पेंशन कागजात के साथ एक प्रमाण-पत्र देंगे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक दो वर्ष या उससे अधिक अवधि से रेन्ट-फ्री क्वार्टर में रहते थे ।

4. यद्यपि सरकार ने उपरोक्त मामलों में (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) नहीं देने का निर्णय लिया है फिर भी इसके कारण पुराने मकान किराए सम्बन्धी बकाए राशि स्वयं व्यक्तिगत (लैप्स) नहीं हो जायेगा, बल्कि वसूली के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी । पेंशन की स्वीकृति देते समय पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवक से एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लेंगे कि उन्हें सरकारी आवास के किराए के सम्बन्ध में कुछ भी बकाया राशि नहीं देनी है । अगर किसी प्रकार का बकाया है तो उसकी वसूली करने की व्यवस्था वे करेंगे । यदि आवश्यक हो तो उक्त रकम की वसूली निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवक को मिलने वाली ग्रेच्यूटी से की जायेगी ।

5. यह आदेश 1ली अप्रैल, 1975 से प्रभावकारी होंगे, अर्थात् जो सरकारी सेवक उक्त तिथि या बाद की तिथि से सेवानिवृत्त होंगे उन्हें (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) नहीं प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि वे दो वर्ष या उसके पहले से ही सरकारी आवास में नहीं रहते थे या रेन्ट-फ्री भवन में रहते थे । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी० 11-40-07/75/207 वि०, दिनांक 1-4-1975]**

15.

***विषय : पेंशन मामले के निस्तार हेतु मकान किराये सम्बन्धी बकाए प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना ।**

मकान किराया सम्बन्धी अदेयता प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग ज्ञापांक पेन–1021/68-13313 वि०, दिनांक 4-2-1968 एवं पेन 1037/70-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973 तथा पी०सी० 11-40-37/75–2471 वि०, दिनांक 1-4-1975 सभी परिपत्रों की प्रतिलिपि (संलग्न है) के द्वारा आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, फिर भी समय पर मकान के किराया सम्बन्धी अदेयता

प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) सम्बद्ध कार्यपालक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत नहीं होने के फलस्वरूप पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अदेयता प्रमाण-पत्र (नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट) निर्गत करने में विलम्ब का एक मुख्य कारण यह भी है कि कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में मकान के किराए की कटौती सम्बन्धी अभिलेख अद्यतन नहीं रहते हैं, यद्यपि सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी सेवकों के वेतन किराए की कटौती नियमित रूप में ही होती रहती है। सरकार को यह सूचना मिली है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध मकान किराए के बकाए की अधिकतम राशि दिखलायी जाती है और सत्यता की जाँच के लिए आद्योपान्त टी०भी० नम्बर की माँग की जाती है जिसको प्राप्त करना सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के लिए कठिन समस्या बन जाती है।

2. सावधानीपूर्वक उपरोक्त समस्या पर विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है –

(क) सरकारी आवास भवन के किराये सम्बन्ध "रिकार्ड" ठीक से तथा पूर्णरूप से अद्यतन रखने की पूरी जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता की होती है एवं इसके लिए वे समुचित व्यवस्था करें।

(ख) सामान्यत: कार्यपालक अभियन्ता अपने "रिकार्ड" के आधार पर सम्बन्धित राजपत्रित पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की सूचना प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर ही उनके द्वारा सरकारी मकान के लिए जमा किए गए किराए के सम्बन्ध में 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' निर्गत कर देंगे। यदि किसी विशेष मामले में 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' निर्गत करने में कुछ कठिनाई हो तो संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी से निवृत्ति के पिछले दो वर्षों में जमा किए गए किराए के सम्बन्ध में वेतन विपत्र का टी०भी० नं० माँगा जा सकता है या स्वयं सम्बद्ध राजपत्रित पदाधिकारी दाखिल कर सकते हैं। परन्तु किसी भी हालत में उक्त पदाधिकारी से दो साल के पहले का टी०भी० नम्बर देने का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

(ग) अराजपत्रित सरकारी सेवक जो निवृत्ति के पहले सरकारी मकान में रहते थे उन्हें लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से पेंशन तथा अन्तिम वेतन के अंकेक्षण के लिए 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' देना आवश्यक नहीं होगा। इनके मामले में सम्बन्धित अराजपत्रित सेवक के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि सम्बन्धित सरकारी सेवक से नियमित रूप से सरकारी मकान का किराया वसूल किया गया है एवं उन्हें कुछ भी किराए की राशि नहीं देनी है। ऐसे भी कुछ राजपत्रित सरकारी सेवक हैं जो स्वयं कोषागार से वेतन की निकासी नहीं करते हैं उनके मामले में भी अराजपत्रित सरकारी सेवक के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

3. कंडिका 2 में बतायी गयी प्रक्रिया को लागू करने के फलस्वरूप सरकारी सेवक के जिम्मे देय बकायी राशि किसी भी हालत में स्वत: व्यपगत (लैप्स) नहीं होगी एवं आवश्यक जाँच के बाद इसकी वसूली के लिए नियमानुसार या वैध प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

4. यह आदेश लोक निर्माण विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है। 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' के चलते जितने भी मामले लम्बित हैं उनका इसके अनुसार शीघ्र निस्तार किया जाये।

5. लोक निर्माण विभाग से यह अनुरोध किया जाता है कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को, ऊपर में दिए गए आदेशों से आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाये। **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी० 10-4032/75-8871 वि०, दिनांक 5-9-1975]**

16.

***विषय : पेंशन स्वीकृति के आवेदन-पत्र के निष्पादन में विलम्ब।**

पेंशन या उपदान की मंजूरी के पहले सेवा के सत्यापन में विलम्ब से बचने के लिए इस विभाग के ज्ञापांक 15562 एफ०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1963 के क्रम में निम्नांकित और निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. सेवानिवृत्ति से एक पूरा महीना पहले सभी राजपत्रित पदाधिकारी (अपने निजी मामलों में) और सभी कार्यालय-प्रधान (अपने कार्यालय में सेवारत् अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में) कार्यपालक अभियंता को उन्हें तत्परतापूर्वक रिपोर्ट (महालेखाकार, बिहार को उसकी एक प्रति प्रेषित करने के साथ) भेजने का अनुरोध करेंगे जिसमें उक्त सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक उसके द्वारा सरकारी निवास के सम्बन्ध में उससे

सरकार को किराया, कर, आदि के रूप में बाकी राशि का उल्लेख होगा । उन्हें अपने अन्तिम वेतन-विपत्र में (विशेषकर राजपत्रित पदाधिकारी होने की स्थिति में), और अपने पेंशन आवेदन-पत्र में (राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवक होने पर प्रत्येक स्थिति में) स्वयं द्वारा अथवा अंकेक्षण द्वारा पता की गई कोई भी राशि जो किसी भी मद में जैसे मकान-किराया, किसी तरह के अग्रिम का बकाया, अतिशेष और किसी तरह की अधिक निकासी, उनसे सरकार को बाकी पड़ी हो, के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न करने को कहा जाना चाहिये ताकि सभी बकाये यथासंभव उनके अंतिम वेतन-विपत्र से वसूला जा सके, और यदि पूरी वसूली अनुध्यात नहीं हो तो वे निवर्तमान सरकारी सेवक के पेंशन आवेदन-पत्र के साथ उनका इस आशय का सहमति-पत्र संलग्न करेंगे जिसमें पेंशन या उपदान से वसूली करने की उनकी सहमति होगी ।

2. ज्योंही कोई अस्थायी पद स्थायी किया जायेगा, उस कार्यालय का प्रधान जिससे वह पद संलग्न होगा, उन सभी व्यक्तियों की सूची या सूचियाँ तैयार करेंगे जिन्होंने अस्थायी पद धारण किया है – अवधि के पूरे ब्योरे के साथ और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 के अधीन पेंशन प्रदायी सेवा के सत्यापन और प्रतिग्रहण के लिए उसे या उन सबको (सेवा-पुस्तिका समेत, यदि मामला अराजपत्रित सरकारी सेवक का हो) महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करेंगे । सत्यापन के बाद महालेखाकार, बिहार सेवा-पुस्तिका में उपयुक्त प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे या सेवा-इतिवृत्त में उक्त तथ्य को सन्निविष्ट करेंगे । प्रमाण-पत्र निम्न प्रारूप में होगा –

"श्री ..... द्वारा ..... की अवधियों में धारित पद राज्यादेश सं० ..... दिनांक ..... के तहत दिनांक ..... के प्रभाव से स्थायी कर दिया गया और तद्नुसार श्री ..... द्वारा की गई सेवा बिहार पेंशन नियमावली के नियम ..... के अधीन (पेंशन) प्रदायी हो गई ।"

प्रथम वार्षिक विवरणिका में कार्यालय-प्रधान इस तथ्य को दर्ज करेंगे ।

3. ऊपर दी गई प्रक्रिया के तहत केवल वे ही पद आयेंगे जो भविष्य में स्थायी किये जायेंगे । पूर्व के मामलों के सम्बन्ध में सेवा-जाँच का कार्यक्रम शुरू किया जायेगा और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 के अधीन पेंशन गणना के लिए अस्थायी सेवावधि निर्धारित करने के मद्देनजर आयु-अवरोही-क्रम को अधिमानता दी जायेगी । [***ज्ञापांक पी०सी०1022/53-2566-एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1956**]

17.

***विषय : पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित प्रपत्रों को सभी विभागों/कार्यालयों में उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में ।**

अन्य सरकारी प्रपत्रों की भाँति पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित सभी प्रपत्र विभागों/कार्यालयों को अपने यहाँ उपलब्ध रखना है । उन्हें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हाल में पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान के शीघ्र निष्पादन के सम्बन्ध में वित्त विभाग ने जितने भी परिपत्र, आदेश आदि निर्गत किए हैं, वे सरकार की इसी नीति के कारण निर्गत किए गए हैं जिससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मृत सरकारी सेवकों के परिवार को अधिक-से-अधिक राहत मिल सके तथा उन्हें अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो सके ।

2. इसके बावजूद भी प्राय: ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ विभागों/कार्यालयों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवार को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिसका परिणाम यह होता है कि सुदूर मुफ्फसिल कार्यालयों से भी लोगों को वित्त विभाग में प्रपत्र लेने के लिए आना पड़ता है । सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवार को महज प्रपत्र की उपलब्धि के लिए यदि इस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ेगी तो उन्हें सहूलियत एवं राहत देने सम्बन्धी सरकार की नीति का मूल उद्देश्य ही लोप हो जाएगा ।

3. अत: यह अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रपत्र जिनकी सूची संलग्न है पर्याप्त मात्रा में अपने विभाग/ कार्यालय में उपलब्ध रखने का कष्ट करें । पेंशन सम्बन्धी फार्म-4 जो अनुसूचित प्रपत्र हैं उसे 'प्रेस एवं प्रपत्र, गया' से मँगवा कर उपलब्ध रखें । अन्य जो अनुसूचित प्रपत्र हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में रोनियों करवा लें । कार्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में एक आवश्यक बात यह कहनी है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्रों को केवल पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों के कार्यालयों को ही उपलब्ध नहीं रखना है, वरन् प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में भी इन प्रपत्रों का होना आवश्यक है ।

4. इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाये तथा सरकार के इस आदेश से सभी अन्तर्गत कार्यालयों को भी अवगत कराया जाये एवं उनसे इसका निश्चित रूप से पालन करवाया जाये । वित्त विभाग की पेंशन पार्टी मुफ्फसिल कार्यालयों (तत्काल जिला स्तर तक) में पेंशन मामलों के निष्पादन की प्रगति देखने एवं पेंशन की समीक्षा करने जाया करती है । अब पेंशन के निष्पादन में पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं या नहीं ?

5. सरकार आश्वस्त होना चाहती है कि सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं अथवा नहीं । अत: कृपया वित्त विभाग को सूचित किया जाये कि उनके विभाग/कार्यालय द्वारा प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं/अन्तर्गत के सभी कार्यालयों को भी प्रपत्र अविलम्ब उपलब्ध कर लेने का आदेश दिया जाये तथा उन्हें आदेश दिया जाये कि प्रपत्र को उपलब्ध रखे जा रहे हैं इससे वित्त विभाग को सीधे अवगत कराने का कष्ट करें ।

(क) पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से सम्बन्धित प्रपत्र –

1. पेंशन प्रपत्र – 4 (अनुसूचित) ।
2. एनेक्सर–ए ।
3. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रपत्र ।
4. परिवारों की सूची से सम्बन्धित प्रपत्र ।
5. स्पेसीमेन सिगनेचर से सम्बन्धित प्रपत्र ।
6. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की गणना से सम्बन्धित प्रपत्र ।
7. पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना से सम्बन्धित प्रपत्र ।
8. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 204 ए के अन्तर्गत घोषणा-पत्र (केवल राजपत्रित पदाधिकारी के लिए)
9. फार्म 'जी' का घोषणा-पत्र (केवल राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए) ।
10. वित्त विभाग के पत्रांक 3654 वि०, दिनांक 30-5-1981 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र ।
11. पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की औपचारिक स्वीकृति से सम्बन्धित प्रपत्र ।

(ख) पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से सम्बन्धित प्रपत्र –

इसके लिए सभी प्रपत्र ऊपर के जैसे ही रहेंगे । केवल क्रम संख्या (2) में एनेक्सर–ए के बदले एनेक्सर–बी रहेगा तथा क्रम सं० 11 में उपरोक्त प्रपत्र के बदले पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की औपचारिक स्वीकृति से सम्बन्धित प्रपत्र रहेगा । इसके अतिरिक्त दो निम्नलिखित प्रपत्र रहेंगे –

(1) एनेक्सर–2 (2), एनेक्सर–3 । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 1-1-29/74/11865 वि०, दिनांक 12-11-1974]**

18.

***विषय : पेंशन के लिए आवेदन-पत्र का निष्पादन और स्वीकृति में विलम्ब ।**

बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 10 का निर्देश करते हुए कहना है कि उस अध्याय में अंतर्विष्ट नियमों का निर्माण पेंशन के आवेदन-पत्र और पेंशन-स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया में तेजी लाने, सरकारी सेवक का वेतन से पेंशन पर सीधे चल जाने को सुनिश्चित करने और उसकी पेंशन और/या उपदान-राशि का निर्धारण और संसूचन उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक कर दिये जाने के लिये किया गया था । देखने को आया है कि उन नियमों के उपबन्धों और पेंशन-मामलों के सत्वर निष्पादन के लिए गत समय-समय पर निर्गत निर्देशों के बावजूद सुदीर्घ विलम्ब अब भी हो रहा है और ये विलम्ब इस कारण हो रहे हैं कि सम्बद्ध प्राधिकारी अधिकतम मामलों में पेंशन-केसों को पर्याप्त अधिमान्यता नहीं देते । यह भी देखने को मिला है कि अंकेक्षण कार्यालय में जाँच के लिए प्राप्त हुए पेंशन-कागजात में अनुक त्रुटियाँ होती हैं जो उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा नहीं हुई होतीं यदि वे सुसंगत नियमों से अवगत हुए होते । जो पेंशन-कागजात अंकेक्षण कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें हर प्रकार से पूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि समुचित पूर्णता और अधिक जानकारी के लिए जब तब लौटाये जाने की विवशता से बचा जा सके ।

2. पेंशन या उपदान के निर्गम में विलम्ब सम्बन्धित शिकायतों के कारणों के परिहार के लिए अनुरोध है कि पेंशन मामलों के संव्यवहार के लिये उत्तरदायी सभी पदाधिकारियों को जारी किये जाने वाले निर्देश इस आशय के होने चाहिए कि पेंशन मामलों को यथासंभव अधिकाधिक अधिमानता दी जाए। सरकार उन विलम्ब के मामलों को कठोरता से लेगी जो भविष्य में उद्भूत होंगे। पेंशन मामलों के संव्यवहार में जब कभी आपराधिक विलम्ब होगा, दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3. मेरा यह भी आग्रह है कि उन सरकारी सेवकों के विषय में, जो पेंशन या उपदान के हकदार हैं, किन्तु जिनके मामले में पेंशन या उपदान अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है, अनुलग्न फारम में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाए। पहली रिपोर्ट जो इस विभाग को आगामी अप्रैल तक पहुँच जानी चाहिए, में सरकारी सेवकों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के वे मामले होंगे जो 31 दिसम्बर, 1952 तक उद्भूत हुए हों। दूसरी रिपोर्ट, जो जुलाई में होगी, उन मामलों से सम्बन्धित होगी जो मार्च के अन्त तक उद्भूत होंगे और क्रमशः।

टिप्पणी : 1. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए कि पेंशन सम्बन्धी मामले सभी स्तर पर शीघ्र निबटाये जाते हैं।

टिप्पणी : 2. जहाँ तक सरकारी विभागों में मामले के निष्पादन का सम्बन्ध है, उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित रिपोर्ट वित्त विभाग को भेज दी जाये। [*ज्ञापांक 3169 एफ०, दिनांक 12 मार्च, 1953]

19.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन।**

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग तथा मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के बावजूद अत्यधिक विलम्ब के उदाहरण सरकार के सामने आते रहते हैं। अतः इन सभी निर्देशों को संकलित करना आवश्यक हो गया है जो सुलभ निर्देशिका का काम करे और जिसके पालन से, आशा है भविष्य में पेंशन-मामलों का सत्वर और तत्काल निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

2. सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 और 190 की शुद्धि-पत्रों और वित्त विभाग के ज्ञापांक 1013/55-2090 एफ०, दिनांक 15 फरवरी, 1956 पर ध्यान देना चाहिए। सभी सरकारी सेवकों को प्रभावशाली ढंग से बता देना चाहिये कि वे अपने निजी हित में अपनी पूर्वानुमानित निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष (अब 18 माह) पहले अपनी पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र समर्पित कर दें। आवेदन पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद सेवा विवरण, आदि की तैयारी भी आरंभ कर दी जाए।

3. पेंशन की द्रुततर स्वीकृति में विलम्ब इस कारण से होता है कि सम्बद्ध प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 64 के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवावधि के सत्यापन और बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के सम्बन्ध में बाह्य सेवा अंशदान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का ध्यान वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 4-1013/33-4085, दिनांक 29 मार्च, 1956 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

4. वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1022/55-2566 एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1954 की कंडिका 2 और ज्ञापांक पी० 1-103/55-1694 एफ०, दिनांक 14 फरवरी, 1955 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 (2) के तहत् पेंशन प्रदायी सेवावधि के सत्यापन के लिये त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

5. महालेखाकार, बिहार के परामर्श से वित्त विभाग द्वारा रचित और वित्त विभाग के ज्ञापांक 15462 एफ०, दिनांक 15 दिसम्बर, 1953 के प्रचारित प्रश्नावली में बताई गई रूपरेखा के अनुरूप प्रत्येक पेंशन मामला पूर्णतः तैयार किया जाना आवश्यक है, और विधिवत् उत्तरित और अग्रसारण पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रश्नावली की एक प्रति, पेंशन कागजात के साथ महालेखाकार, बिहार को भेजा जाना आवश्यक है। महालेखाकार बिहार ने रिपोर्ट भेजी है कि प्रश्नावली की छानबीन पर पता लगा है कि वास्तविक तथ्य सुसंगत प्रश्न के प्रति लिखित उत्तर से बहुधा मेल नहीं खाते और इस वजह से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है और फलतः पेंशन कागजात के अन्तिमीकरण में देरी होती है। अतः अधिक सावधानी और शुद्धता से प्रश्नावली उत्तरित करना आवश्यक है।

6. लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध कार्यपालक अभियंताओं को, सरकारी सेवक की निवृत्ति से बिल्कुल एक महीना पहले, उनकी निवृत्ति की आसन्न तिथियों की जानकारी देकर गृह-कर, आदि के सबब बकाय

सम्बन्धी प्रतिवेदन के लिए अनुरोध किया जाना आवश्यक है । सरकारी सेवकों को भी, यदि राजपत्रित हों, तो अपने अंतिम वेतन-विपत्र के साथ, और अराजपत्रित हों, तो पेंशन आवेदन-पत्र के साथ सरकारी बाकीदारी के सम्बन्ध में आवश्यक ब्योरे देना चाहिए । सभी का ध्यान वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1920/54-2566 एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1954 की ओर आकर्षित किया जाये ।

7. चूँकि सरकारी सेवकों से इन राशियों (अर्थात् छुट्टी वेतन के वेतन भत्ते के अधिनिर्गम या कबूल की गई या प्रत्यक्ष बकाये जैसे गृह-किराया, पोस्टल जीवन बीमा प्रीमियम, विभिन्न अग्रिमों के बाकी अतिशेष, इत्यादि) को सरकारी सेवक के पेंशन से नहीं वसूला जा सकता, अत: पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन बाकी पड़ी राशियों की ओर सम्बद्ध सरकारी सेवक का अविलम्ब ध्यान जाए ताकि उनका पेंशन मामला इसके चलते नहीं रुके । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्रांक 6664 एफ०, दिनांक 30 मई, 1951 की कंडिका 3 की ओर ध्यान दिया जाए ।

8. देखने को आया है कि किसी पदाधिकारी से बाकी पड़े मकान-किराया, आदि के सम्बन्ध में पथ और भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं से माँगी गई जानकारी प्राय: काफी देरी से और वह भी बारंबार स्मार-पत्र भेजने के बाद उपलब्ध होती है । अत: लोक निर्माण विभागों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यपालक अभियंताओं को भविष्य में तत्परतापूर्वक जानकारी देने का निर्देश दें ।

9. यह भी देखने को आया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का पेंशन-अंतिमीकरण में विलम्ब का एक दूसरा कारण यह है कि विहित वेतनमान में उनका वेतन निर्धारण ठीक (नहीं) किया गया है और अंकेक्षण कार्यालय में उस गलती का पता बाद में लगता है जब पेंशन कागजात वहाँ पहुँचते हैं । सेवानिवृत्त हो रहे या होनेवाले अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच ठीक समय से कर ली जानी चाहिए, ताकि पेंशन मंजूर करने के साथ विलम्ब न हो ।

10. यह भी देखा गया है कि बहुत सारे मामलों में, पेंशन मामले तैयार करते समय विहित नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता । पेंशन-कागजात के साथ अपेक्षित प्रमाण-पत्र और दस्तावेज भी कुछ में नहीं दिये जाते । स्पष्ट है कि जिन्हें पेंशन मामलों के कार्य सौंपे गए वे या तो पेंशन नियमों से सुपरिचित नहीं है या पूर्वांकित कंडिका 5 में निर्देशित प्रश्नावली में बताई गई रीति से मामला तैयार करने में समुचित सतर्कता नहीं बरतते । अत: सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिकाधिक सावधानी से करें ।

11. एक ओर पेंशन कागजात में गलतियों से बचने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना अनिवार्य है तो दूसरी ओर पेंशन मामले के निबटारे के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब कम करने का हमेशा प्रयत्न करना है ।

12. पेंशन मामला हमेशा अंकेक्षण कार्यालय को समय पर दिया जाए, ताकि सरकारी सेवक वेतन से पेंशन पर लौटें, जैसा नियम 188 में अनुध्यात है ।

13. सेवा-सत्यापन का कार्य निरंतर हाथ में लिया जाए और सम्बद्ध सरकारी सेवक आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा किये बिना काफी पहले सम्पन्न कर लिया जाए ।

14. महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई आपत्ति पर तत्परता से काम किया जाए और आपत्ति प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर वे मामले आपत्ति ज्ञापन के साथ अनिवार्य रूप से लौटा दिये जायें ।

15. महालेखाकार, बिहार से सरकारी सेवक को अनुमान्य पेंशन और अनुदान-राशि से संबंधित प्रतिवेदन की प्राप्ति पर पेंशन और अनुदान तुरंत स्वीकृत किये जायें । वित्त विभागीय पत्रांक 6664 एफ०, दिनांक 30 मई, 1951 में अंतर्विष्ट निर्देशों पर भी ध्यान दिया जाए जिनसे पता चलेगा कि सभी मामलों में औपचारिक स्वीकृति दी जानी आवश्यक है ।

16. सभी कार्यालय-प्रधानों/पदाधिकारियों को फिर से यह स्मरण दिलाना है कि यह देखना उनकी जवाबदेही है कि उनके कार्यालयों में पेंशन मामलों का अनावश्यक विलम्ब न हो । समुचित रोकथाम करने और पेंशन मामलों का हर स्तर पर निष्पादन सम्बन्धी विलम्ब से बचने को समर्थ होने के लिए उन्हें चाहिए कि वे अपने कार्यालयों में लम्बित पेंशन मामलों के दो मासिक विवरण मंगवाया करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन मामलों पर समय-समय से सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों और विद्यमान नियमों के अनुसार काम हो रहा है । जहाँ कहीं विलम्ब का पता लगे, उत्तरदायित्व निर्धारण करने और दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों को दंड देने की तुरंत कार्रवाई की जाए ।

17. इस विभाग के ज्ञापांक 1145 और 4728 क्रमशः दिनांकित 28 फरवरी, 1954 और 2 अगस्त, 1955 में यथाविहित मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त विभाग और महालेखाकार बिहार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन और विवरण ठीक निश्चित तिथियों पर प्रस्तुत किये जाने का काम जारी रखा जाए। [*ज्ञापांक लेख/पी० 2-1028/55-8321, दिनांक 21-9-1956]

20.

***विषय : पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

महालेखाकार द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उनके कार्यालय में प्राप्त अधिकतर पेंशन मामले अपूर्ण रहते हैं और सम्बद्ध प्रशासी विभागों द्वारा पेंशन-कागजात के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन मामले विभाग को लौटाना पड़ता है और इस तरह उनके निबटारे में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. अतः पेंशन-मामलों के त्वरित निबटारे के लिए महालेखाकार, बिहार के परामर्श से निर्णय लिया गया है कि पेंशन कागजात महालेखाकार को (संलग्न) अग्रसारण-पत्र के साथ भेजे जायें तथा पेंशन-कागजात के साथ उस पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारियाँ भी भेजी जायें। [*ज्ञापांक पेन०-1024/69/5060 एफ०, दिनांक 6-1-1969]

[अग्रसारण पत्र]

सं० ..... दिनांक .....

प्रेषक,

.....

.....

सेवा में,

महालेखाकार, (ए०ई०) II बिहार, पटना 800 001

विषय : श्री ..... सेवानिवृत्त ..... का पेंशन मामला।

महाशय,

मैं इसके साथ श्री ..... सेवानिवृत्त ..... के पेंशन कागजात साथ-साथ निम्नांकित दस्तावेज/जानकारी उनकी पेंशनादि विषयक् हकदारी पर प्रतिवेदन और आवश्यक प्राधिकार के निर्गम के लिए भेज रहा हूँ।

विश्वासभाजन

.....

1. पेंशन फारम 4 में समुचित ढंग से भरा हुआ आवेदन-पत्र।
2. सेवा-पुस्तिका सही ढंग से पूरी की हुई, विशेषकर निम्नांकित जानकारियों के साथ –
   (क) संपुष्टि की तिथि या स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि,
   (ख) पेंशन प्रदायी सेवा की प्रथम तिथि का सत्यापन-प्रमाणपत्र और सेवा की अंतिम तिथि,
   (ग) वित्त विभाग द्वारा विधिवत् जाँचा हुआ (पुनः स्थापन वेतनमान में) वेतन निर्धारण विवरण और सेवा पुस्तिका में वेतन-निर्धारण के अनुसार विधिवत् उपांतरित वेतन-स्थिति,
   (घ) सेवा-विस्तार का आदेश, यदि हो,
   (च) यदि सेवा के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति हुई है तो उस पर संपुष्टि की तिथि/बतायें कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 (एफ) की शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं।
3. क्या निवृत्ति की तिथि तक सेवा निरंतर है ? यदि नहीं, तो टूट की अवधि और कारण बतायें।
4. उपलब्धियों की औसत पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना का ज्ञापन।

5. (क) वित्त विभागीय ज्ञापांक 642 एफ०, दिनांक 14-11-1964 में विहित फारम की सामान्य शर्तों के अनुसार पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति ।
   (ख) यदि पारिवारिक पेंशन है तो वि०वि० ज्ञापांक 1451, दिनांक 19-2-1965 एफ० के अनुलग्नक 3 में स्वीकृति ।
6. वि०वि० पत्रांक 8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान (दर और अवधि), बताते हुए औपबन्धिक पेंशन की अदायगी के ब्योरे दर्शित करनेवाला विवरण ।
7. पारिवारिक सदस्यों की जन्मतिथि, सम्बन्ध और विवाहित पुत्रियाँ रहने पर उनकी विवाह-तिथि दर्शाती, कार्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित सूची ।
8. (क) विधिवत् अभिप्रमाणित हस्ताक्षर नमूने की दो प्रति ।
   (ख) विधिवत् अभिप्रमाणित बायें हाथ के अंगूठा और अंगुलियों के निशान वाली दो प्रति ।
   (ग) विधिवत् अभिप्रमाणित पत्नी/पति के संयुक्त छाया-चित्र की तीन प्रतियाँ और पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रति (अन्य मामले में विधिवत् अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट माप के छायाचित्र) ।
9. यदि पेंशन कागजात सेवानिवृत्ति के बाद दिये गये हों, तो अंतिम वेतन-प्रमाण पत्र ।
10. अवयस्क के दावे की स्थिति में, वि०वि० ज्ञापांक 3798 एफ०, दिनांक 17-4-1975 के अनुसार नियुक्त वास्तविक संरक्षक (मुस्लिम कर्मचारी की स्थिति में) प्रतिपूरक बंधपत्र और उपयुक्त प्रतिभू प्राप्त हुए हैं या नहीं ।
11. वि०वि० ज्ञापांक 1451 एफ०, दिनांक 19-3-1965 का अनुलग्नक 2 (पारिवारिक पेंशन की स्थिति में) ।
12. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 और वि०वि० अधिसूचना सं० 10629 एफ०, दिनांक 16-9-1964 में यथापेक्षित पेंशनलाभी की घोषणा ।
13. नियम 128 में विहित फारम में अशक्तता प्रमाण-पत्र (यदि अशक्तता पेंशन का दावा है) ।

21.

***विषय : पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई ।**

निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के सम्बन्ध में, पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई से सम्बन्धित वित्त विभाग के पत्र संख्या 1017-वि०, दिनांक 23 जनवरी, 1974 के प्रसंग में कहना है कि पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सरकार काफी सचेष्ट एवं प्रयत्नशील है । पेंशन मामलों में किसी भी स्तर पर विलम्ब को सरकार बर्दाश्त करना नहीं चाहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र में निहित आदेश का पूर्णरूप से पालन किया जाये ।

2. इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि सरकारी सेवकों की सूची बनाना, सेवा-पुस्तिका को अद्यतन करना, नये वेतनमान में वेतन का निर्धारण तथा सेवा का सत्यापन करने का कार्य जैसा कि उपरोक्त आदेश में उल्लिखित है सरकारी सेवक की निवृत्ति के 18 माह से 12 माह के पूर्व संपन्न कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । साथ ही "नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट" पेंशन कागजात की तैयारी से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 माह से 6 माह पूर्व तक सम्पन्न होना भी अत्यन्त आवश्यक है । महालेखाकार, बिहार को पेंशन कागजात भेजते समय वित्त विभाग द्वारा विहित जाँच-पत्र के अनुसार इसकी पूर्णरूप से जाँच कर ली जाये तब ही इसे महालेखाकार, बिहार को भेजा जाये जिससे महालेखाकार, बिहार कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति करने की गुंजाइश ही नहीं रहे । वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश में यह निश्चित रूप से निदेशित है कि अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में पहले नियमानुसार 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रैच्यूटी की स्वीकृति देकर ही पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजे जायें । अतः इसका पालन यथेष्ट सतर्कता के साथ किया जाये । औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की स्वीकृति एवं सेवा-पुस्ति में उसकी प्रविष्टि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4163, दिनांक 7 मई, 1974 में निर्धारित प्रपत्र में की जाये ।

3. वित्त विभाग में प्राप्त लम्बित पेंशन मामलों के त्रैमासिक प्रतिवेदनों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुत से निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों के मामले में बिना औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी को नियमानुसार स्वीकृति दिये ही पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेज दिये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को औपबन्धिक पेंशन या अन्तिम पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है जिससे उन्हें अवर्णनीय कष्टों को सहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, मुझे यह कहना है कि इस प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये एवं प्रत्येक अराजपत्रित सरकारी सेवक के पेंशन मामलों में औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी स्वीकृत करने के बाद ही महालेखाकार, बिहार को पेंशन कागजात भेजे जायें। इस नियम एवं प्रक्रिया की अवहेलना एक गम्भीर अनियमितता समझी जायेगी एवं भविष्य में, इसके लिये उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी।

4. वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 1436-वि०, दिनांक 15 फरवरी, 1974 के अनुसार सरकार ने मृत अराजपत्रित सरकारी सेवक के परिवार को भी 2 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी औपबन्धिक रूप से भुगतान करने का आदेश दिया है। अतः पारिवारिक पेंशन के कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजने के पूर्व ऐसे मृत सरकारी सेवकों के परिवार को दो वर्ष के लिये औपबन्धिक रूप से 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत ग्रेच्यूटी की स्वीकृति दे दी जाये। औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की स्वीकृति एवं सेवा-पुस्त में उसकी प्रविष्टि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4063, दिनांक 7 मई, 1974 में निर्धारित प्रपत्र में की जाये। इस आदेश की अवहेलना को भी घोर अनियमितता समझा जायेगा। अतः ऐसे मामलों में भी अनियमितता की कृपया पूर्णरूप से जाँच करें तथा उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध कण्डिका 3 में बतायी गयी कार्रवाई की जाये।

5. बहुधा यह पाया जाता है कि महालेखाकार, बिहार द्वारा पेंशन मामलों में की गई आपत्तियों का निराकरण करने में कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। अतः निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के मामले में आपत्तियों के निराकरण कर एक माह के अन्दर महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में लौटाने की पूर्ण जिम्मेवारी उस विभाग/कार्यालय की होगी जहाँ महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा पेंशन कागजात लौटाये जाते हैं। इस समय सीमा (टाइम लिमिट) का अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए।

6. संक्षेप में, किसी भी हालत में पेंशन मामलों के निष्पादन में विलम्ब नहीं होना चाहिये, परन्तु राज्य सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद भी यदि कोई भी सरकारी सेवक पेंशन मामलों के विस्तार में अहेतुक विलम्ब करते हैं तो उन पर तुरन्त विभागीय कार्यवाही की जाये एवं यदि आवश्यक हो तो उनको सेवा से निलम्बित भी कर दिया जाये। परन्तु, सरकार को यह आशा है कि पेंशनर की दयनीय स्थिति देखते हुए प्रत्येक सरकारी सेवक, पेंशन मामले के तुरन्त निस्तार के लिए यथा साध्य प्रयास करेंगे एवं सामान्यतः कथित कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी, सरकार का आदेश से आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाये, ताकि इस विलम्ब के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ भी गलतफहमी नहीं रह जाये। [*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 11-1-04/4-5232 वि०, दिनांक 23-5-1974]

22.

***विषय : पेंशन/उपदान मामलों के निष्पादन में विलम्ब।**

मुख्य सचिव के ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०–1145, दिनांक 25 फरवरी, 1954 का निर्देश करते हुए कहना है कि महालेखाकार, बिहार ने बताया है कि उक्त ज्ञाप के निर्देशों में विहित सर्वथा अनुकूल ढंग से लम्बित पेंशन और उपदान मामलों के त्रैमासिक प्रतिवेदन उन्हें नहीं दिये जा रहे हैं। सूचियों में प्रायः उन मामलों को भी अंतर्विष्ट कर दिया जाता है जो उस वक्त अधीनस्थ कार्यालयों में निर्माणाधीन रहते हैं और महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजे गये हैं। और भी, महालेखाकार, बिहार को भेजी गई सूचियों में पेंशन-मामलों की नवीनतम स्थिति नहीं दिखाई जाती साथ ही, उनमें उन मामलों को भी उनके ही कार्यालय में लम्बित दिखा दिया जाता है जिनमें पेंशन सम्बन्धी स्वत्व की रिपोर्ट की जा चुकी है।

2. अतः अनुरोध है कि अब से लम्बित पड़े पेंशन और उपदान मामलों की सूची उपर्युक्त मुख्य सचिव के ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के सर्वथा अनुसार ही बनाई जाए और उसमें केवल वे ही मामले दर्शित किये जायें जो महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजे गये और वहाँ लम्बित हैं। महालेखाकार, बिहार को उनके कार्यालय में लम्बित पड़े मामलों में तत्पर कार्रवाई करने को समर्थ बनाने के लिए, अनुरोध है कि अब से विवरणिकायें तीन

श्रेणियों में तीन अलग-अलग पन्नों पर – प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग पन्ना, नीचे दर्शाए गए अनुसार तैयार की जाये –

(1) मामले जिनमें महालेखाकार, बिहार द्वारा प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट नहीं निर्गत किये गए हैं ।

(2) मामले जिनमें प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट निर्गत किये गए हैं और स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु जो भुगतान प्रमाण-पत्र के निर्गम के लिए महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में लम्बित है ।

(3) मामले जिनमें वेतन-निर्धारण के लिए पत्राचार चल रहा है ।

3. पुनः अनुरोध है कि महालेखाकार, बिहार के पास ऐसा विवरण दो प्रतियों में भेजा जाए जिसके दाहिने उपान्त में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा अभ्युक्तियाँ लिखने को पर्याप्त स्थान हो, तथा जिनमें से एक प्रति विभाग को लौटाया जा सके । यह उनके कार्यालय को विवरण की दूसरी प्रति पर कार्रवाई नोट करके उसे तत्परता से लौटाने को समर्थ करेगा । इस पद्धति से सब ओर पत्राचार करने में कमी आयेगी ।

4. इन श्रेणियों में से किसी एक में आने वाले मामले निम्नांकित फारम में वर्णित किये जा सकेंगे –

पेंशनलाभी का नाम और पदनाम	पत्र की संख्या और तिथि और प्राधिकारी जिसने भेजा	निवृत्ति या मृत्यु की तिथि	महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई कार्रवाई

5. अनुरोध है कि जानकारी और मार्गदर्शन के लिए इन विस्तृत निर्देशों को प्रत्येक विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन सभी अध्यक्षालयों, प्रवृत्ति को संसूचित कर दिया जाये, साथ ही उन्हें जोर देकर बता दिया जाए कि इनका कठोरता और सावधानी से अनुपालन आवश्यक है ।

6. महालेखाकार, बिहार को भेजे गए विवरण और मुख्य सचिव के पत्र सं० एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०–1145, दिनांक 25 फरवरी, 1954 की कंडिका 2 में उल्लिखित अन्य लम्बित पेंशन/उपदान मामलों के विवरण की प्रतियाँ वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को प्राथिक तौर से भेजी जायें । [*ज्ञापांक ए०सी०एस०/पी० 2-1013/55–4728, दिनांक 2-8-1955]

23.

***विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ ससमय भुगतान करने के सम्बन्ध में ।**

ऐसा देखा गया है कि प्रशासी विभागों द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण राज्य के सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी काफी समय तक उनके पेंशन, ग्रेच्यूटी, ग्रूप बीमा आदि का भुगतान नहीं किया जाता है । पिछली हड़ताल में भी विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ।

2. ऐसी परिस्थितियों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जायज दावों के लिए भी काफी दौड़-धूप करनी पड़ती है । इससे एक ओर तो सरकारी कर्मचारियों में क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है एवं दूसरी ओर सरकारी कार्यों की दक्षता पर से भी विश्वास घटने लगता है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है । दिनांक 9-2-1992 को राज्य सरकार एवं शिक्षक पदाधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ एक समझौता भी हुआ था जिसमें सरकार इस मुद्दे पर सिद्धान्ततः सहमत हुई थी ।

3. अतः प्रयास यह किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व से ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाये, ताकि सरकारी कर्मचारियों को ससमय सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जा सके । यदि सभी प्रशासी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा रुचि लेकर एवं अपनी आवश्यक जिम्मेदारी समझते हुए कार्रवाई की जाये तो कोई कारण नहीं है कि सेवानिवृत्ति का लाभ सरकारी कर्मचारियों को ससमय प्राप्त नहीं हो जाये ।

4. सरकार की यह दृढ़ मंशा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्यूटी, ग्रूप बीमा, भविष्य निधि आदि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को ही दिया जाना चाहिए । इसके लिए सभी प्रशासी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के प्रधानों द्वारा आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए ताकि इसका अनुपालन हो सके ।

5. इसके लिए निदेशित किया जाता है कि सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान प्रत्येक तीन माह पर अपने यहाँ से सभी मामलों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे। समीक्षा के क्रम में सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिये जाने वाले लाभों के सम्बन्ध में जो भी कठिनाई पायी जा रही है या जो भी अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित है, उनका निराकरण एवं समाधान किया जाए। त्रैमासिक समीक्षा का प्रतिवेदन मुख्य सचिव कोषांग एवं वित्त विभाग को भी प्रेषित किया जाए। [*पत्र संख्या पी०आर०ई०-1- 04/92-1922 वि०, दिनांक 31-3-1992]

24.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन एवं उपदान स्वीकृत नहीं होने तथा कतिपय अन्य कारणों से इसकी अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब होने पर न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं। यह एक ठोस यथार्थ है कि ऐसे मामलों में प्रासंगिक नियमों के पक्ष में होने के बावजूद राज्य सरकार की हार इसलिए हो जाती है कि मुकदमों में प्रशासी विभाग द्वारा या तो ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं किया जाता है अथवा प्रतिशपथ-पत्र बिना वित्त विभाग को दिखाये हुए ही दायर कर दिया जाता है, जिसमें नियम की सही वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अपील दायर करने की कार्रवाई भी त्वरित गति से नहीं की जाती है। उक्त सभी स्थितियाँ अवांछित है, क्योंकि हर हालत में इसका फलाफल होता है कि राज्य सरकार को पेंशन एवं उपदान की राशि के अलावे ब्याज का भुगतान करने को विवश होना पड़ता है।

2. अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किये गए पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों में वांछित कार्रवाई सही समय पर करने, ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर करने एवं दायर करने के पूर्व उसे वित्त विभाग से अनिवार्यतः दिखा लेने की व्यवस्था कृपया अपने स्तर पर सुनिश्चित की जाये। इसे कारगर एवं अचूक बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने यहाँ संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी को उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त ऐसे मुकदमों में कार्रवाई करने के लिए भी उत्तरदायी बनाया जाये और ऐसे पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम की सूचना कृपया वित्त विभाग को अवश्य दी जाये। इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। [*ज्ञाप सं० पी०सी० 1-2-25/90/1554, दिनांक 23-2-1991]

25.

***विषय : पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि आप सभी को सम्बोधित महालेखाकार, बिहार के पत्रांक पेंशन-1-जी०-223, दिनांक 17-6-1996 में आपलोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने पेंशन कागजातों के अग्रसारण हेतु विभागीय स्तर पर दो माह की समय-सीमा तथा महालेखाकार के लिए एक माह की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त एक चेकस्लीप भी निर्धारित की गई है तथा 31-12-1996 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना भी माँगी गई है।

2. महालेखाकार के द्वारा यह भी सूचना दी गई है अनेक मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा सेवानिवृत्त/मृत्यु से प्रभावित कर्मियों के सम्बन्ध में (छः) माह की अवधि के बाद भी प्रसंगाधीन कागजातों को प्रेषित नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित कागजात नियमों के अनुरूप तैयार नहीं किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप त्रुटियों के निराकरण में लम्बा समय निकल जाता है और प्राधिकार-प्रपत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. मुख्य सचिव द्वारा परिपत्र संख्या 24, दिनांक 4-1-1996 के द्वारा पेंशन सम्बन्धी विषयों के त्वरित निष्पादन हेतु यथोचित निर्देश निर्गत किए गए हैं। फिर भी, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के निष्पादन में अपेक्षित तत्परता की कमी के कारण आए दिन सरकार को आलोचना एवं न्यायिक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है।

4. अतः अनुरोध है कि महालेखाकार के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में निहित मार्गदर्शन का अनुसरण कर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विषयों पर त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, यह अनुरोध भी है कि प्रत्येक 6 (छः) माह में सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों के सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र में सूचना महालेखाकार एवं वित्त विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाये।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूचना

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम	पद एवं वेतनमान	वेतन	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में पद-ग्रहण की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	कार्यालय का नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[*पत्र संख्या पी०सी०-1-मिस०-37/96/10361-वि०, दिनांक 12-9-1996]

26.

***विषय : पेंशन के पुनरीक्षण समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण ।**

राज्य सरकार को इस तथ्य की जानकारी मिली है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि० एवं संकल्प संख्या 1854/वि०, दिनांक 19-4-1990 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के पेंशनभोगियों को पेंशन को पुनरीक्षित/समेकित करने के दौरान कतिपय मामलों में यह विसंगति उत्पन्न हुई कि पेंशन की नई नीति के तहत् पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में आदेय कुछ राशि "स्लैब पद्धति" के अन्तर्गत पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में अनुमान्य कुल राशि से कम हो जा रही है और पेंशनभोगी लाभान्वित होने के बजाय पेंशन में ह्रास के शिकार हो रहे हैं । उक्त विसंगति के निराकरण का प्रश्न कुछ दिन पूर्व से सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन पेंशनभोगियों के मामले में सरकार द्वारा प्रतिपादित पुनरीक्षित पेंशननीति के तहत् महालेखाकार, बिहार द्वारा पुनरीक्षित समेकित पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किया गया है और इसके आधार पर जिनको पेंशन में ह्रास हो रहा है, उन्हें यह वरणाधिकार (Option) प्राप्त होगा कि वे दिनांक 1-3-1989 के बाद की किसी भी अवधि के लिए पूर्व में प्रचलित "स्लैब पद्धति" के अन्तर्गत अपनी पेंशन एवं राहत का भुगतान प्राप्त करें, यदि वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो और उसके बाद ऐसे पेंशनभोगी पुनरीक्षित पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अपनी पेंशन की निकासी करने के अधिकारी हो जाएँगे, जब प्रचलित नीति के तहत् अनुमान्य राशि के चलते इन्हें आर्थिक क्षति नहीं होता हो । इसके लिए इस कोटि के प्रत्येक पेंशनभोगी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका (16.1) के अन्तर्गत इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपना लिखित विकल्प संलग्न प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारों यथा सम्बन्धित बैंक/कोषागार/ उप-कोषागार को प्रस्तुत करना होगा । इस व्यवस्था के तहत् भुगतान करने हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी । वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका (6.1) में निहित प्रावधानों के विनियोग (Scope of application) को उक्त हद तक विस्तारित/संशोधित समझा जाये । एक बार दिया गया विकल्प सदा के लिये निर्णायक एवं अपरिवर्त्तनीय होगा ।

3. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अन्य राज्यों में रहते हुए अपनी पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशनधारकों को भी इस आदेश के अनुसार सुविधा सुलभ कराने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को इस आदेश से यथाशीघ्र अवगत करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसकी सूचना इस विभाग को भी दें । कोषागार/उप-कोषागार/सम्बन्धित बैंक के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पेंशनभोगी से लिखित विकल्प पाते ही उनके विकल्प के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दें । **[*संकल्प संख्या 6230 वि०, दिनांक 23-8-1991]**

27.

***विषय : सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी (Post-retiral Spouses) को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9505 वि०, दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 7 (ii) की टिप्पणी (2) के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरान्त शादी

होने पर ऐसे पति/पत्नी को एतद् सम्बन्धी भारत सरकार के नियम के अनुरूप पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के ज्ञाप संख्या 1/87/89 पी० एण्ड पी०डब्लू० (सी०), दिनांक 30-10-1990 के द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद शादी होने पर ऐसे पति/पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन सुलभ कराया गया है।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 9505/वि०, दिनांक 3-10-1964 की कंडिका 7 (ii) की टिप्पणी (2) को विलोपित करते हुए निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद बने पति/पत्नी को परिवार पेंशन योजना, 1964 में शामिल करते हुए पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरान्त पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाये।

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् हुए विवाह से उत्पन्न संतान भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा के पात्र होंगे। ऐसे संतानों में यदि कोई विकलांग हो, अथवा शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण जीविकोपार्जन में असमर्थ हो तो वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 1884 वि०, दिनांक 29-3-1975 में निहित शर्तों के अनुसार आजीवन पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

4. उपर्युक्त निर्णय निर्गम की तिथि से प्रभावी होगा, परन्तु पूर्व में सेवानिवृत्त इस कोटि के पति/पत्नी में से पात्र पति अथवा पत्नी प्रभाव की तिथि को जीवित हो, तो उन्हें भी पारिवारिक पेंशन देय होगा। प्रभाव की तिथि के पश्चात् मृत पात्र पति-पत्नी के वैध उत्तराधिकारी भी मात्र पति-पत्नी की मृत्यु की तिथि तक के बकाया के हकदार होंगे। [*वि०वि० ज्ञाप संख्या पी०सी०-1-मिस०-32/90/9961 वि०, दिनांक 3-9-1996]

28.

***विषय : 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना।**

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्रांक पेन०-1-1343, दिनांक 20-11-1986 के प्रसंग में कहना है कि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों के मामले में वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन के पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया एवं सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया –

(i) राजपत्रित पदाधिकारी वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम के साथ अपने सेवानिवृत्ति के समय का पदनाम एवं जिस कार्यालय एवं जिलों से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसका उल्लेख आवेदन में करेंगे।

(ii) जहाँ पेंशन के सेवा-अभिलेख के प्रसंग में वास्तविक गणना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण चाहेंगे, वैसे मामले को पेंशनर विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र कार्यालय प्रधान को देंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे, सीधे कोषागार पदाधिकारी को समर्पित नहीं करेंगे।

(iii) सम्बन्धित कार्यालय प्रधान पेंशनर से प्राप्त आवेदन को कोषागार पदाधिकारी (जहाँ से पेंशन निकासी होती है) के पास सेवा-पुस्त/सेवा-अभिलेख के साथ भेजेंगे। यदि सेवा-पुस्त एवं सेवा-अभिलेख, कार्यालय प्रधान के पास उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे मामले में कार्यालय प्रधान एक प्रमाण-पत्र देंगे जिसमें पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन प्रदायी सेवा प्रारम्भ की तिथि, सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि एवं सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह में प्राप्त वेतन का उल्लेख हो एवं जो कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से जाँच लिया गया हो।

(iv) सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी द्वारा आवेदन में प्रविष्टियों की जाँच कर आवेदन-पत्र को सेवा-पुस्ति/सेवा-अभिलेख के साथ महालेखाकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रक्रिया की कंडिका ii, iii, एवं iv अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एवं वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनके वेतन एवं भत्ते की निकासी कार्यालय प्रधान द्वारा स्थापना विपत्र में की जाती है के मामले में लागू होगा। वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका सेवा-अभिलेख महालेखाकार द्वारा रखा जाता है, वे अपना आवेदन-पत्र सीधे कोषागार पदाधिकारी को भेजेंगे जो उसे महालेखाकार को आवश्यक कार्रवाई के बाद अग्रसारित करेंगे। [*वित्त विभाग, पत्र संख्या 421 वि०, दिनांक 6-3-1987]

29.

***विषय : चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ ।**

चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि जो भी सरकारी सेवक 10 वर्ष की पेंशन-प्रदायी सेवा के पूर्व स्थायी रूप से लोक सेवा के अथवा विशिष्ट सरकारी सेवा (पार्टिकुलर जॉब) के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हों, उन्हें असमर्थता पेंशन जो पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य राशि से कम हो, बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाये ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी सेवक 10 वर्ष सेवा-अवधि के पूर्व ही स्थायी रूप से लोक सेवा के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जायें, उन्हें असमर्थता पेंशन स्वीकृत किया जाये । असमर्थता पेंशन की राशि किसी भी परिस्थिति में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6796 वि०, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका (सी) में अंकित प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन अनुमान्य पेंशन की राशि से कम नहीं होगी । यह पेंशनरी लाभ उन सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगा जो दिनांक 1-1-1981 को या उनके पश्चात् असमर्थ हो गये हों या होंगे ।

3. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 के प्रावधानों के अधीन किसी निम्नतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा कोई सरकारी सेवक को यदि उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया जाता है, तो वह जिस पद पर प्रोन्नत किया जाता है, उस पद पर कम वेतन पाता है, जब तक कि वह निम्नतर स्थानापन्न पद और उच्चतर स्थानापन्न पद दोनों मिलाकर तीन वर्षों की सेवा पूरी नहीं कर लेता है ।

4. चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि उपर्युक्त संकल्प एवं बिहार सेवा संहिता के उक्त प्रावधान में निहित समय-सीमा की शर्त्त को समाप्त किया जाये, ताकि जो कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक तीन वर्ष पूर्व स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर प्रोन्नत किये जाते हैं, उन्हें अपने निम्नतर पद पर प्राप्त स्थानापन्न वेतन के आधार पर उच्चतर पद पर वेतन निर्धारित किया जाये, ताकि उन्हें पेंशन में घाटा नहीं हो ।

5. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त कंडिका 4 से सम्बन्धित कर्मचारियों के पेंशन की गणना हेतु इस प्रकार परिकल्पित उपलब्धि मानी जाये, जिससे कंडिका 3 में निर्देशित वित्त विभागीय संकल्प में अपेक्षित तीन वर्षों की सेवा पूरी करने सम्बन्धी शर्त्त नहीं पूरी होने के कारण पेंशन में कोई घाटा नहीं हो । यह 1-10-1982 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी होगा ।

6. पेंशन नियमावली तथा पत्र संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 एवं बिहार सेवा संहिता के संगत उपबन्ध तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे । [*संकल्प संख्या 1376 वि०, दिनांक 17-2-1983]

30.

***विषय : केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा हेतु पेंशन एवं उपदान के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि कई बार केन्द्र/ अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारी कुछ अवधि तक वहाँ सेवा करने के बाद नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप राज्य सरकार की सेवा में सदा के लिए आ जाते हैं अथवा राज्य सरकार के ही कर्मचारी कुछ अवधि के लिए सेवा करने के बाद केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन सदा के लिए चले जाते हैं । ऐसे मामले में प्रचलित व्यवस्था के तहत समानुपातिक पेंशन के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है । इधर हाल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक 14 (5)/86 टी०ए० 1029, दिनांक 9-10-1986 की कंडिका 2 (बी) में वित्तीय व्यय का वहन केन्द्र अथवा उन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिनके अधीन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत् रहे हों ।

2. उक्त निर्णय के सन्दर्भ में वैसे मामले में वित्त विभाग की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ समय तक यहाँ सेवा करने के बाद नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन सदा के लिए चले जाते हैं एवं वहीं से सेवानिवृत्त भी होते हैं और राज्य सरकार के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा को पेंशन एवं उपदान की गणना हेतु अर्हक सेवा के रूप में परिगणित करने का प्रस्ताव हो, क्योंकि ऐसे मामलों में भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्य सरकार को कोई वित्तीय व्यय वहन

नहीं करना है । ऐसे मामलों में सम्बद्ध विभाग को उनकी सेवा अवधि के सत्यापनार्थ एवं प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता है और इसमें अन्य तथ्यों के अतिरिक्त इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख रहना अनिवार्य है कि राज्य सरकार की सेवा छोड़ते समय पेंशनरी लाभ के मद में कुछ भुगतान हुआ है या नहीं ।

3. फिर भी वैसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी जिनमें भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ दिनों की सेवा के बाद इस राज्य सरकार की सेवा में आ गए हों । उनकी पूर्व सेवा को पेंशन के लिए परिगणित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । [***पत्र संख्या पी०सी० 2-01-11/89/ 1399 वि०, दिनांक 19-3-1990**]

31.

***विषय : वित्त विभागीय संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 में निहित उदारीकृत पेंशन का फार्मूला का लाभ दिनांक 1-1-1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुलभ कराने के सम्बन्ध में ।**

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6796/वि०, दिनांक 15 जुलाई, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1973 से अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन और उपदान की गणना में संशोधन कर पेंशन प्रदायी सेवा अवधि को छमाही तथा उपदान की अधिसीमा उपलब्धियों का 16½ गुणा किया गया था ।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका सी०डब्लू०जे०सी०–1032/1993 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प की कंडिका (2) में निहित अपच्छेद की तिथि 1-1-1973 असंवैधानिक है जो पेंशनभोगियों के बीच एक कृत्रिम विभेद की स्थिति उत्पन्न करता है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि उक्त अपच्छेदन की तिथि को समाप्त करते हुए उपर्युक्त संकल्प में निहित सभी लाभ । जनवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए भी विस्तारित की जाये ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका (2) में निहित अपच्छेदन की तिथि 1-1-1973 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर, यथा संकल्प संख्या 7112 वि०, दिनांक 4-9-1979, संख्या 1618, दिनांक 6-5-1986 एवं संख्या 1854-वि०, दिनांक 19-4-1990 के माध्यम से निर्गत आदेशों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति/वार्द्धक्य/क्षतिपूरक/असमर्थता पेंशनभोगियों के पुनर्निर्धारित, पुनरीक्षित और समेकित पेंशन पर, यथास्थिति, पेंशन में अस्थायी वृद्धि एवं महँगाई राहत का लाभ भी प्राप्त हो सके ।

4. महालेखाकार, बिहार इस संकल्प में निहित संशोधन के आधार पर पुनर्गणना कर पेंशनभोगियों के पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करेंगे । पेंशनभोगियों को पूर्व में अस्थाई वृद्धि और महँगाई राहत के मद में भुगतान की गई राशि के सामंजन के पश्चात् ही बकाया राशि का भुगतान महालेखाकार से प्राप्त प्राधिकार के आधार पर संबंधित कोषागार/उपकोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एकमुस्त में किया जायेगा ।

5. वैसे पेंशनभोगी जो 1 जनवरी, 1973 को जीवित थे, परन्तु बाद में उनकी मृत्यु हो गई, वैध उत्तराधिकारी पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि तक के बकाया राशि पाने के हकदार होंगे । [***वित्त विभाग, सं० 10731 वि०, दिनांक 18-9-1996**]

32.

स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा

***विषय : तिथि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा ।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1618, दिनांक 6-5-1986 की कण्डिका 3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित पेंशन का लाभ तिथि 1-4-1979 से दी गई है, परन्तु पुनरीक्षित पेंशन पर अस्थायी वृद्धि एवं राहत को पुनरीक्षित करने की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है । कहने का तात्पर्य यह है कि बढ़े हुए दर पर पेंशन एवं राहत का लाभ 1-1-1986 से मिलेगा ।

राज्य सरकार ने पेंशनरों को 1-5-1985, 1-8-1985 एवं 1-11-1985 के प्रभाव से पेंशन में राहत की दर में वृद्धि की है । यह राहत इस कोटि के पेंशनरों को अपुनरीक्षित पेंशनर (पुराने दर पर प्राप्त पेंशन) पर देय होगा । कृपया तद्नुसार भुगतान की व्यवस्था करें । [*ज्ञाप सं० 392 वि०, दिनांक 4-3-1987]

33.

***विषय : लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण ।**

..... निदेशानुसार यह कहना है कि सरकार के समक्ष सेवानिवृत्ति लाभ यथा-पारिवारिक पेंशन एवं उपदान आदि के भुगतान के लिए ऐसे मामले यदाकदा आते रहे हैं जिनमें सरकारी सेवक/पेंशनभोगी अचानक गायब हो गये हैं अथवा जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है । ऐसे मामले में सम्प्रति व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाता है । सामान्य स्थिति में लापता होने की तिथि से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ही उन व्यक्तियों को मृत समझा जाता है और तभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का प्रश्न उठता है । यह सिद्धान्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 108 पर आधारित है, जिसमें यह प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति के जीवित होने या मृत होने के प्रश्न पर निर्णय लेने हों और यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके जीवित रहने की दशा में जिन लोगों से नैसर्गिक तौर पर उस लापता सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के विषय में सुनने-जानने की उम्मीद की जा सकती है उन लोगों ने भी विगत सात वर्षों में कुछ नहीं सुना है, तो उसके जीवित रहने का प्रमाणित करने का दायित्व उन पर चला जाता है, जो ऐसा दावा करते हैं ।

2. सरकार के समक्ष यह प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था कि सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करने से उक्त कोटि के सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के आश्रित परिवार को गंभीर आर्थिक संकट उठाना पड़ता है और नियमानुमोदित लाभ की स्वीकृति में अत्यधिक समय भी लगता है । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए वैसे सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रित परिवार को निवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(i) यदि सम्बन्धित सरकारी पेंशनर के आश्रित परिवार द्वारा निकटवर्ती थाने में उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो और पुलिस थाने में उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो और पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता हो कि सभी संभव प्रयास एवं खोजबीन के बावजूद उसके लापता होने की बात सही है, तो सर्वप्रथम सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में दिये गये नामांकन-पत्र के आधार पर उसके आश्रित परिवार को बकाये वेतन, भविष्य निधि खाते में संचित राशि और अव्यवहृत छुट्टी के बदले में छुट्टी वेतन के समतुल्य नगद राशि का भुगतान तुरन्त किया जाये, जिसके लिये किसी न्यूनतम अवधि का पूरा होना जरूरी नहीं है ।

(ii) सम्बन्धित सरकारी सेवक/पेंशनर के लापता होने की तिथि से एक वर्ष बाद उसके परिवार के पात्र सदस्य अथवा मनोनीत व्यक्ति से पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संगत नियमों के अनतर्गत दावे की जाँच के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(iii) इन सभी मदों में भुगतान करने के पूर्व परिवार के पात्र सदस्य अथवा मनोनीत व्यक्ति से इस आशय का क्षतिपूरण बंध-पत्र (Indemnity Bond) निश्चय रूप से प्राप्त कर लिया जाये कि लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के पता चल जाने एवं अपने बकाये की माँग करने पर पूर्व में भुगतान की गई राशि समंजित करने के बाद ही राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(iv) कर्मचारी/पदाधिकारी के जिम्मे सरकारी बकाये की वसूली, उसे आदेय अव्यवहृत छुट्टी के बदले वेतन के समतुल्य राशि, बकाया वेतन एवं भत्ते और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि से करने के उपरान्त ही शेष राशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

3. कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय को इससे अवगत करा दिया जाये । [*पत्र संख्या सं०पी०-107-12/88/1083/वि०, दिनांक 24-2-1990]

●